मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 24 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 11 – 17 जून 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

मोदी सरकार के नौ साल: सरकार नाकाम, जनता बदहाल.....3

तकरड़ा के शहीदों को लाल सलाम: शहादत की 75वीं जयंती पर सांप्रदायिक फासीवाद से संघर्ष का शपथ.....6

एनएफआईडब्ल्यू द्वारा महिला विरोधी मोदी सरकार को हराने का आह्वान

स्वतंत्रता दिवस तक एक लाख आमसभाएं की जाएंगी

एनी राजा

4 जून 2023 को भारत के 20 राज्यों से–कश्मीर से तमिलनाडु और पूर्वोत्तर से महाराष्ट्र तक से–480 महिलाएं भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की 70वीं स्थापना जयंती मनाने के लिए नई दिल्ली पहुंची। इनमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न वर्गों से आई महिलाएं शामिल थीं। उनमें ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाएं भी थीं। वे सब युद्ध क्षेत्र से–भारत की महिलाओं ने अभी तक जो अधिकार हासिल किए हैं उनको बचाने, अपने सम्मान की रक्षा और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारतीय गणतंत्र के नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के संघर्ष के युद्ध क्षेत्र से–दिल्ली इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची।

कार्यक्रम का आयोजन ''सजा माफी से पहलवालों के संघर्ष तकः महिला आंदोलन के सामने चुनौतियां एवं आगे का रास्ता'' शीर्षक राष्ट्रीय सम्मेलन के तौर पर किया गया।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन ने उन महिलाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने तमाम तरह की मुश्किलों एवं विरोध का सामना करते हुए 4 जून 1954 को भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन का गठन किया जिनमें अरूणा आसफ अली, रेणु चक्रवर्ती, हाजरा बेगम, गीता मुखर्जी, अनुसूया ज्ञानचंद, विमला डांग और विमला फारूकी आदि शामिल थीं जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सुविख्यात सेनानी भी थी।

सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन में लम्बे अरसे से काम करने वाली अनेक महिलाएं अपने परिवारों के साथ शामिल हुई। इनमें शामिल हैं स्वर्गीय गिरिजा कुमार सिन्हा और दिनेश कुमारी सिन्हा की बेटी अलका प्रसाद जो अपनी बहनों शोभा चन्द्रा, अर्चना सिन्हा और अरूणा सिन्हा और उनकी बेटियों अमिता शर्मा एवं सुशोभिता के साथ सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंची। साथ ही अरूणा सिन्हा के बेटे नवेन्दु और उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनके साथ के.वी. शर्मा, उनकी पत्नी निशी और बेटे मनीष और भरत भी सम्मेलन में शामिल हुए।

स्वर्गीय कामरेड कैलाश वन्ती और जयचन्द की बेटियां–सुदेश कुमारी, रमेश कुमारी, वीना जम्मू और सुमित्रा कुमारी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आई। अनेक माताएं अपनी पुत्रियों और पौत्रियों के साथ इस ऐतिहासिक अवसर पर पहुंची।

इस अवसर पर जब भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की वरिष्ठतम नेता 92 वर्षीया रंजना रे ने कहा कि ''वह कानून निर्माता हों, अमीर हों या प्रभावशाली हों या खेत मजदूर हों, कानून के सामने सब बराबर हैं'' तो जबर्दस्त नारों और हर्षध्वनि के साथ सम्मेलन ने सहमति व्यक्त की।

छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों से युवा वालंटियर वर्दी पहनकर पहुंची जिससे सम्मेलन में संघर्ष को आगे बढ़ाने और एक लिंग–न्यायसंगत लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष एवं शांतिपूर्ण भारत के निर्माण के लिए उत्साह एवं संकल्प का वातावरण बना।

कार्यक्रम का प्रारम्भ राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की सचिव अरूणा सिन्हा के स्वागत भाषण से हुआ। उद्घाटन भाषण करते हुए भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की अध्यक्ष अरूणा राय ने पिछले 7 दशकों में सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक समानता के लिए फेडरेशन ने जो अधिकार–आधारित कार्य किए हैं उन्हें रेखांकित किया। आंदोलन के इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सर्वाधिक हाशिए पर पड़े गरीबों, दलितों, आदिवासियों, मुस्लिमों एवं समाज के अन्य प्रत्येक तबके के लोगों के न्याय के लिए और हर किस्म की सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ उनकी लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन ने उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम किया।

भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष गार्गी चक्रवर्ती ने कहा कि भाजपा–आरएसएस की केन्द्र सरकार इतिहास को विकृत कर और हर स्तर पर गलत सूचनाओं के जरिए देश में आक्रामकता के साथ अत्यंत घृणित अल्पसंख्यक विरोधी प्रचार एवं सांप्रदायिक नफरत का जहर घोल रही है। अतः आवश्यकता है कि महिला आंदोलन इस सरकार को सत्ता से हटाने को अपनी प्राथमिकता बनाए।

भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की महासचिव एनी राजा ने कहा कि भारत की महिलाएं एक युद्ध जैसी स्थिति से होकर गुजर रही हैं। दृश्य एवं अदृश्य तरीके एवं अभूतपूर्व नृशंसता के साथ बढ़ती हिंसा, ताकतवर, अमीर एवं प्रभावशाली को निरापदता (यानी उन्हें कानून से डरने की जरूरत नहीं है), महिलाओं के विरूद्ध अपराध करने वालों को राजनीतिक संरक्षण–यह आज आरएसएस–भाजपा सरकार के तहत एक नई सामान्य बात बन गई है। सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं का अभिनन्दन करते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष हमारे लिए नहीं बल्कि भारत की समूची महिलाओं के लिए है। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह हमारे संगठन की स्थापना करने वाली महिला नेताओं एवं अन्य नेताओं ने अनेक संगठनों एवं महिला अधिकार समूहों को एकजुट करने और एकताबद्ध होकर काम करने की दिशा में काम किया और भारत के महिला आंदोलन को जीवन्त बनाया।

इसके बाद कार्यक्रम में दो पैनल बनाए गए जिनके समन्वय का काम फेडरेशन की सचिव कवलंजीत कौर और निशा सिद्धू ने किया। इन पैनलों के विचार–विमर्श में विभिन्न संगठनों में और विभिन्न तबकों में काम करने वाले महिला नेताओं ने हिस्सा लिया। उन सभी ने वर्तमान मोदी सरकार के महिला विरोधी रवैये की भर्त्सना की और कहा कि आज एक धर्मान्ध, पितृसत्तात्मक, महिला–द्वेषी, फासिस्टी किस्म की सरकार देश को डुबो रही है, हमें देश को इस संकट से बचाना होगा।

एक 30 मिनट के विजुअल इतिहास के जरिए डा. सुप्रिया चौटानी ने सामाजिक एवं कानूनी सुधारों के जरिए और महिलाओं के विरूद्ध यौन हिंसा के प्रश्न पर, दहेज प्रथा के खात्मे और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, साम्प्रदायिकता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकजुटता एवं राजनीतिक समानता जैसे प्रश्नों पर फेडरेशन द्वारा अतीत में और वर्तमान में किए जा रहे जबर्दस्त काम पर प्रकाश डाला।

अभिनंदन

70वें जयंती समारोह में भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की वरिष्ठ नेताओं को सम्मानित किया गया। अच्छा

शेष पेज 15 पर...

जनवाद के लिये भयानक ख़तरा

कानूनी पैनल ने दंड के प्रावधान को सिडीशन कानून के अन्तर्गत नहीं रखने के परिणामों से सावधान करते हुए कहा है कि इससे देश की सुरक्षा और एकता को ख़तरा होगा। सिडीशन के अपराध की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि ''...वास्तविक रूप से हिंसा का कोई ख़तरा नहीं होने पर भी मात्र उसके विचार, जिससे संभावना बनती है कि वस्तुतः हिंसा हो सकती है या उसका प्रत्यक्ष ख़तरा सामने रहता है'', काफी है यह मानने के लिये कि सजा के कारण बन चुके हैं। यह रिपोर्ट पहली जून को आई थी।

सरकार ने कहा है कि सेक्शन 124 ए को भारतीय दंड संहिता के अनुसार, संवैधानिक औचित्य कितनी दी गई है, और सिडीशन कानून के अन्तर्गत उसे कितना दंड दिया जा सकता है, यह अभी विचाराधीन होने में समय लगेगा। सिडीशन क़ानून के अन्तर्गत अपराधों की संख्या 559 हो गई थी जो 2014 से 2020 तक के दरम्यान के लिये बहुत अधिक ही था। उच्चतम न्यायालय ने इसीलिये अब 2021 में इसका संज्ञान लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह प्रश्न उठाया है कि जो कानून औपनिवेशिक ताक़तों द्वारा महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे महान जन नेताओं पर लगाया गया, वे आज 75 वर्षों बाद तक कानून की किताबों में जिन्दा हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने यह भी कहा कि सिडीशन कानून या इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 124ए को सरकार ग़लत तरीके से भी उपयोग कर सकती है। सिडीशन कानून को इंगलैंड के विधिवेत्ताओं द्वारा उस समय लागू किया गया था जब माना जाता था कि सरकार के बारे में सिर्फ समर्थक और अच्छे विचार ही जीवित रहने चाहिए, क्योंकि सारी आलोचनाएं सरकार के लिये क्षतिकारक होती है। यह कानून 1837 में थॉमस मैकाले द्वारा तैय्यार किया गया था जो एक ब्रिटिश इतिहासज्ञ और राजनीतिज्ञ थे जिन्हें बिना कोई कारण बताए हटा दिया गया। जब इंडियन पैनल कोड में1860 में इसके लागू करने का निर्णय लिया गया जो सर जेम्स स्टीफेन द्वारा लाया गया था, उसे 1870 में स्वीकृति भी दे दी गई थी क्योंकि अपराधों को रोकने के लिये इसकी आवयकता महसूस की गई। आज सेक्शन124ए के अंतर्गत सिडीशन, सत्ता के विरूद्ध अपराध माना जाता है।

भारत में लॉ कमीशन ने कैद की अवधि तीन और सात साल बढ़ाने की सिफारिश की है। यह दंड निर्भर करेगा अपराध कितना संगीन है इस पर। इसके लिये कोर्ट को मौका मिलेगा कि वह अपराध कितना संगीन है इस पर विचार करे। सिडीशन क़ानून के उपयोग पर कमीशन ने अपनी पहले की रिपोर्ट पर कहा था कि जो सजा 124ए में सिडीशन कानून के अंतर्गत रखी गई है वह थोड़ी ''विचित्र'' है क्योंकि इसकी अवधि या तो तीन साल की कैद ही है या फिर आजीवन कारावास है। बीच के लिये कुछ भी नहीं रखा गया है।

सिडीशन क़ानून के अन्तर्गत न्यूनतम सजा जुर्माना है।

''भारतीय पैनल कोड कहती है कि सेक्शन 124(ए) में

संपादकीय

उल्लिखित सजाओं में अंतर बहुत ही स्पष्टता से दिखता है। पैनल कोड के चौथे अध्याय में वाक्यों की तुलना करने पर ये सजाएं कितनी अलग–अलग हैं, यह स्पष्ट होता है।

चौथा अध्याय भारतीय दंड संहिता में राज्य के विरूद्ध किए गए अपराधों पर विचार करता है। रिपोर्ट में कहा गया, ''इसीलिये इस प्रावधान को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि अध्याय चार में जिन अपराधों के लिये जो सजाएं रखी गई हैं, उनका सही उपयोग हो सके।''

कमीशन ने 124ए सेक्शन की परिभाषा को संशोधित करते हुए कहा है यह ''जन उभार को प्रेरित करने वाली और हिंसात्मक कार्रवाई के लिये उकसाने वाली प्रवृत्ति है।''

अभी भारतीय दंड संहिता में जो लिखा गया है, उसमें कहा गया है कि, ''सिडीशन–जो किसी के भी द्वारा लिखित शब्दों में सकेतों में, या उसे उजागर करने में या फिर किसी भी तरह नफरत या अवमानना को स्पष्ट करने में, या भारत की वैध सरकार के विरूद्ध उत्तेजित करने के लिये की जाती है, उसके लिये आजीवन कारावास, जिसके साथ जुर्माना भी लग सकता है, या फिर जो तीन साल की सजा होती है, उसके साथ ही जुर्माने को भी जोड़ दिया जाता है।''

इस सेक्शन को संशोधित करते हुए अब लॉ कमीशन ने लिखा है, ''जो कोई भी, शब्दों में, लिखित या बोलकर, हिंसा या एक सार्वजनिक अशांति को प्रेरित करने की ओर रूझान लेकर कार्य करता है, उसे या तो आजीवन कारावास, जिसके साथ जुर्माना भी हो सकता हे, या अलग से भी हो सकता है, या फिर सात साल की जेल की सजा होगी, जुर्माना उसमें हो भी सकता है।''

इस तरह सिडीशन को मात्र कार्य में ही नहीं, बल्कि प्रवृत्ति या रूझान की स्थिति में भी अपराध माना जायगा इसके लिये हिंसा की किसी कार्रवाई या उसकी चेतावनी की भी जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ प्रवृत्ति के आधार पर भी सजा मिल सकती है।

लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट क़ानून मंत्री तक पहुंचा दी है।

वस्तुतः भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 124ए, जो सिडीशन से जुड़ा है, इसका लॉ कमीशन का समर्थन ही यह उजागर करता है कि आज सरकार इस कानून को अधिकाधिक कठोर और निष्ठुर बनाने के उद्देश्य से ही यह योजना बना रही हे।

आम चुनाव के पहले ही यह सरकार इस संदेश को जनता तक पहुंचाना चाहती है।

सरकार सिडीशन कानून को लागू ही इसीलिये करना चाहती है कि ''किसी भी तरह की अस्वीकृति को खामोश कर दिया जाय, कुचल दिया जाय, विनष्ट कर दिया जाय।''

यहां यह प्रश्न भी उठाया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सिडीशन कानून को ही ''निष्क्रिय'' या ''इनऑपरेटिव'' घोषित कर दिया है, तो सरकार इसे अधिकतर कठोर बनाने पर क्यों तुली है?

लॉ कमीशन ने विशेष तौर पर यह स्पष्ट किया है कि शासित और शासक के बीच एक दूरी होगी, और इस क़ानून के आधार पर पूरी जनतांत्रिक व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया जायगा।

भाकपा तेलंगाना राज्य परिषद की बैठक

जन मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का आह्यान

राम नरसिम्हा राव

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य डॉ. के. नारायणा ने पार्टी कामरेडों से कहा कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन तेज करें ताकि वह जनता की शिकायतों को हल करे।

डॉ. के. नारायणा 8 मई को मखदूम भवन, हैदराबाद में तेलंगाना राज्य परिषद की दो दिवसीय बैठक का उद्घाटन कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी राज कार्यकारिणी सदस्य मर्री वेंकट स्वामी ने की। बैठक को राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य अजीज पाशा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य वेंकट रेड्डी और कुनामेनी संबाशिव राव ने संबोधित किया। तेलंगाना पार्टी राज्य सचिव ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर सचिव रिपोर्ट, पिछली गतिविधियों की रिपोर्ट और भावी कार्य योजना पेश की।

डॉ. के. नारायणा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि पदयात्रा के लिए जनता की प्रभावशाली प्रतिक्रिया मिली। भाकपा के नेताओं को सभी जगह कई ज्ञापन मिले। हमें इन शिकायतों के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ना होगा। गांव स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करना होगा। हमें इन संघर्षों को तब तक जुझारू रूप से चलाना होगा जब तक कि ये मांगे स्वीकार नहीं की जाती। नारायणा ने हाल ही में अमित शाह द्वारा दिए गए इस बयान पर दुख जताया कि यदि राज्य में भाजपा सरकार आएगी तो मुसलमानों के आरक्षण के खत्म कर दिया जाएगा। नारायणा ने याद दिलाया कि केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कई कमेटियों की रिपोर्टों ने लिखा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर हे।

उन्होंने पार्टी साथियों से अपील की कि वे जनता की समस्याओं का अध्ययन करें और भाजपा सरकार की जन–विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करें। उन्होंने तकनीकी कारणों से पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म करने के चुनाव आयोग के निर्णय से भी पार्टी साथियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मान्यता देने की प्रक्रिया अपने–आप में दोषपूर्ण है। वर्तमान में भाकपा की इकाईयां,कमेटियां और वोट 26 राज्यों में और आठ केंद्रीय शासित प्रदेशों में हैं। नागालैंड और सिक्किम को छोड़कर भाकपा की अन्य राज्यों में सक्रिय इकाईयां हैं।

नारायणा ने कहा कि वर्तमान की सबसे अधिक वोट पाने वाले को निर्वाचित चुने जाने की बजाय चुनाव को अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली पर आधारित होना चाहिए। यदि इस विधि को अपनाया जाता है तो समाज के सभी वर्गों को सभी विधायी निकायों में प्रतिनिधित्व मिलेगा। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में धन और बाहुबल का कोई जोर नहीं होगा। नारायणा ने ईवीएम पर बोलते हुए कहा कि यहां तक कि कई विकसित देशों ने ईवीएम के उपयोग को छोड़कर मतदान पत्र पद्धति को अपना लिया है।

पार्टी राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य अजीज पाशा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार द्वारा केंद्र में पेश किए बजट में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के फंड को घटा दिया है। उन्होंने इस साल के बजट में मनरेगा, खाद्य अनुदान, रसायनिक उर्वरक आदि अनुदानों में कटौती कर दी है। यह शर्मनाक है कि भाजपा देश के अधिकांश गरीब जनता को मुश्किलों को हल करने के बजाय भारत–पाकिस्तान के साथ–साथ हिंदू–मुसलमान जैसे सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा रही है। उन्होंने यह मानते हुए कि पद यात्रा को जनता से अच्छा समर्थन मिला है। उन्होंने पार्टी साथियों से अपेक्षा की कि वे बड़े पैमाने पर जनता के बीच भाजपा की जनविरोधी और कॉर्पोरेट परस्त नीतियों का पर्दाफाश करने को कहा। तेलंगाना पार्टी सचिव कुनामेनी संबाशिव राव ने सचिव रिपोर्ट पेश करते हुए फासीवादी उत्तरजीवियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्यान किया उन्होंने तेलंगाना में पार्टी द्वारा ग्रामीण और शहरी जनता के मुद्दों से संबंधित आंदोलनों जैसे कि घरनी पोर्टल, किसानों के कर्ज माफी की मांग, पोडु जमीन की मांग, आवास भूमि और बेघरों के लिए घर की मांग के बारे में विस्तार से बताया।

मोदी सरकार के नौ साल: सरकार नाकाम, जनता बदहाल

महेश राठी

नरेंद्र मोदी युवाओं को दो करोड़ सालाना रोजगार, कम सरकार और अधिक प्रशासन, लालफीताशाही पर नियंत्रण, काले धन पर रोक और तेज विकास के आसमान छूते बड़े वादों की पीठ पर सवार होकर 2014 में सत्ता में आये थे। मोदी के इस पूरे चुनावी प्रचार के नतीजों का एक विरोधाभासी पहलू यह था कि मोदी के नारों ने देश के उस गरीब, मेहनतकश को सबसे ज्यादा भ्रमित कर दिया था, मोदी जिसके वर्गीय शत्रु थे। यह मोदी के इस कारपोरेट प्रबंधित मायाजाल का फैलाया हुआ भ्रम था जिसने मोदी को 2014 और 2019 में स्पष्ट बहुमत दिलवाया।

लेकिन अब यही कहेंगे, मोदी की सत्ता के नौ साल, जनता बदहाल। मोदी के आसमानी दावे केवल आसमान में ही उंचे दिखते हैं जमीन पर तो कतई नहीं। विकास मोदी के प्रचार का सबसे बड़ा और लुभावना जुमला था। परंतु मोदी के कार्यकाल में यही विकास कुछ ज्यादा ही सुस्त नजर आया। मोदी के विकास के दावों में एक लुभावना दावा जीडीपी का घोषित लक्ष्य 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था था। परंतु मौजूदा हालात में यह अब एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मोदी के दावों के नजरिये से देखें तो मंजिल अभी दूर है और आर्थिक मंदी की चुनौतियां ज्यादा करीब हैं। 2022 के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था 3.05 ट्रिलियन थी और 2023 के अंत तक इसके 3.7 ट्रिलियन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। परंतु यह 3.7 ट्रिलियन तभी संभव है जब देश की विकास दर 7.0 प्रतिशत से अधि रहे। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों और विशेषज्ञों के दावों के अनुसार यह 6.0 प्रतिशत अथवा उससे भी नीचे रहने का अनुमान है। और उस पर भी तेल संकट की नई चर्चाओं के बीच मुद्रास्फीति जनित मंदी और तकनीकी मंदी की भविष्यवाणियां इस अनुमानित विकास दर के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है।

मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तो जीडीपी विकास दर 7 से 8 प्रतिशत के बीच थी। परंतु मोदी की सत्ता के दौरान यह 3.1 प्रतिशत तक नीचे गयी है। इस गिरावट के कई कारक रहे हैं। जिसमें नोटबंदी और आनन फानन में लागू की गई जीएसटी प्रमुख थे। 2016 में एक विनाशकारी नोटबंदी के कारण प्रचलित मुद्रा का 86 प्रतिशत अचानक अर्थव्यवस्था से बाहर चला गया था और इससे अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रा की कमी का भारी संकट पैदा हो गया था। इसके अलावा माल और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में आये एक व्यापक नए कर कोड को जल्दबाजी में लागू किए जाने के कारण व्यवसायों को कड़ी चुनौती के सामने खड़ा कर दिया था। जिसने अगले बड़े आर्थिक संकट को जन्म दिया था। इसके बावजूद भी 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का दावा मोदी का प्रचलित हॉलमार्क जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है।

बेरोजगारी बढ़ रही है

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनोमी (सीएमआईई) का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2011–12 से ही निवेश की कमी की मार झेल रही थी तो वहीं 2016 के बाद कई आर्थिक झटके अर्थव्यवस्था ने झेले हैं।

साफ जाहिर यह नोटबंदी और जल्दबाजी और मनमाने तरीके से लागू की गयी जीएसटी के कारण हुआ था। जिससे अर्थव्यवस्था को भारी संकट का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कोरोना के दौरान बगैर किसी तैयारी के लगातार लॉकडाउन का रूक रूक कर आना कोढ़ में खाज की तरह सिद्ध हुआ है। इन सभी तरकीबी मोदीकोनोमिक्स ने आर्थिक संकट को जन्म देने का काम किया तो वहीं रोजगार के अवसर को खत्म कर डाला जिससे अर्थव्यवस्था पर दोहरी मार पड़ी।

बेरोजगारी में बढ़ोतरी

सीएमआईई के आंकड़ों से लेकर जमीनी हकीकत तक यह सर्वविदित है कि 2017–18 में बेरोजगारी अपने 45 साल के उच्च स्तर – 6.1 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। और तब से इसमें गिरावट के कोई प्रभावी संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। बल्कि यह लगभग दोगुना हो गयी है, सीएमआईई द्वारा घरेलू सर्वेक्षणों के अनुसार 2021 की शुरुआत के बाद से 25 मिलियन से अधिक लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। और 75 मिलियन से अधिक भारतीय फिर से गरीबी में वापस दाखिल हो गये थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें भारत के 100 मिलियन–मजबूत मध्यम वर्ग का एक तिहाई जैसा बड़ा हिस्सा शामिल है। और यह उस मजबूत मध्यम वर्ग का कई दशक पीछे चले जाना है। कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में हर साल लगभग 20 मिलियन नौकरियों की कमी पैदा की है। देश में जनसंख्या विकास की दर को देखते हुए जहां हर वर्ष लगभग 2.5 करोड रोजगारों की जरूरत है तो वहीं देश एक दशक से महज 43 लाख के लगभग ही रोजगार पैदा कर रहा है। जिससे हर साल लगभग 20 मिलियन नौकरियों की कमी पैदा हो रही है।

उत्पादन और निर्यात में कमी

'मेक इन इंडिया' मोदी की उच्च–महत्वकांक्षी योजना महज एक नारा बनकर रह गयी है। मोदी का दावा था कि लालफीताशाही को कम करके निवेश आकर्षित किया जायेगा और उत्पादन और निर्यात में तेजी आयेगी। किसी व्यवहारिक योजना और तैयारी के मोदी सरकार मानकर चल रही थी विदेश निवेश आकर्षित करके वह भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केन्द्र में विकसित कर देगी। परंतु तैयारी के अभाव में और योजना के नाम पर उसके पास चीन–अमेरिकी संबंधों के तनाव से फायदा लेना के ख्याली पुलावों के अलावा कुछ नहीं था।

उनका लक्ष्य था कि विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत हो जायेगा। परंतु 2021 तक मोदी सरकार के सात साल पूरे कर लेने के बाद भी यह 15 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ था और अभी भी हालात जस के तस बने हुए है। सरकार मौजूदा समय में इसके 17 प्रतिशत होना मान रही है परंतु जानकारों का कहना है कि 2023 के अंत इसके पहले के जैसा ही बने रहने की संभावना है। वैसे भी दुनिया भर के वित्त संस्थान और आरबीआई भी जीडीपी की वृद्धि दर को 6 प्रतिशत और उससे नीचे रहने का अनुमान कर रहा है। उससे लगता है कि विनिर्माण की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत के आसपास ही स्थिर रहने वाली है। सेंटर फॉर इकोनोमिक डेटा एंड एनालिसिस के मुताबिक सालों में विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार आधे से भी कम हो चुके हैं। वहीं करीब एक दशक से निर्यात लगभग 300 अरब डॉलर पर ही अटका हुआ है। निर्यात की प्रतिस्पर्धा में हमारा प्रदर्शन इतना औसत से भी नीचे है कि हमने बंग्लादेश जैसे छोटे प्रतिस्पर्धी के हाथों अपनी निर्यात हिस्सेदारी गंवाई है। ध्यान रहे कि पडोसी छोटे से देश का विकास उसके होजरी उद्योग पर टिका हुआ है और इस क्षेत्र में बांग्लादेश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमसे प्रभावी और हमारा एक प्रमुख निर्यात प्रतिद्वंद्वी बन चुका है।

मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए या तो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर पैसा लगाकर मंदी को थामने के तकनीकी प्रयास कर रही है। जबकि उत्पादन और निर्यात के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से पस्त हो चुकी है।

स्वच्छ भारत अभियान

मोदी सरकार ने सत्ता संभलते ही जोर शोर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की थी। खुले में शौच रोकने के नाम पर जहां कई तरह की नागरिक उत्पीड़न की खबरे आई तो वहीं मोदी की इस योजना के दूरगामी विनाशकारी परिणाम आने वाले सालों में सामने आयेंगे। खुले में शौच को कम करने के लिए लाखों नए शौचालय बने, आवास ऋण दिये गये, सब्सिडी दी गयी परंतु इस पूरी योजना की अनेक खामियां सामने आ रही है। शौचालयों के लिए पानी की कमी है और गांवों और शहरों के अनगिनत शौचालय बंद पड़े हैं। उनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जिनका उपयोग हो रहा है उनकी मल निकासी कोई सुचारू व्यवस्था नहीं होने से मल जमीन के अंदर समा रहा है और भूजल को प्रदूषित कर रहा है। जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में जल जनित बिमारियों में भारी इजाफा हो रहा है। यदि इस पर व्यापक सर्वे कराया जाए तो इसके विनाशकारी परिणाम जाहिर होंगे। इस बगैर सोची समझी स्वच्छ भारत योजना से देश का भूजल बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली

मोदी सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक चिंता का विषय है। कोरोना ने इस बदहाली की पोल खोल कर रख दी थी। अभी तक भी कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों का कोई विश्वसनीय और सर्वसम्मत आंकड़ा सामने नहीं आया है। इतनी बड़ी और व्यापक त्रासदी के बाद भी मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा करना जारी रखा है। भारत में स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक खर्च का स्तर दुनिया में सबसे निचले स्तर पर है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवारक या प्राथमिक देखभाल की कीमत पर तृतीयक देखभाल पर जोर दिया जाता है।

मोदी सरकार जब से आयी है वह हमें अमेरिकी शैली की स्वास्थ्य प्रणाली की ओर धकेल रही है, जो महंगी है और इसके बावजूद स्वास्थ्य परिणाम खराब हैं। और 2018 में शुरू की गई मोदी की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी कोविड के दौरान नाममात्र को ही उपयोग हुआ है। मोदी सरकार स्वास्थ्य बीमा की आड़ में स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। मोदी की बीमा योजना का आम जन को लाभ मिले कि नहीं परंतु इसकी आड़ में निजी अस्पतालों की लूट की अनगिनत कहानियां समाज में चारो तरफ फैली हुई है।

नाकाम उज्ज्वला योजना

अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते वित्त वर्ष में एक करोड़ लाभार्थियों ने अपने सिलिंडर सिर्फ एक बार ही भरवाए थे। अखबार ने आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ का हवाला देते हुए कहा कि तीन तेल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से आरटीआई के जरिए उपरोक्त जानकारी हासिल की गयी है। मोदी ने एक मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में इस योजना की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देना था। 2021–22 में इसका दूसरा भाग शुरू किया गया।

सूचना के अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने माना कि मार्च 2021 तक उन्होंने जो भी कनेक्शन दिए थे, उनमें से बीते वित्त वर्ष में 65 लाख उपभोक्ताओं ने अपने सिलिंडर नहीं भरवाए। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 9.1 लाख और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के 15.96 लाख उपभोक्ताओं ने अपने सिलिंडर नहीं भरवाए।

लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन की गोल्डन जुबली

मजदूर वर्ग को एक साथ आना चाहिए

चैन्नईः लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन गोल्डन जुबली सम्मेलन 16, 17 और 18 मई को कलैवनार आरंगम, चेन्नई में आयोजित किया गया। एम शनमुगम, संसद सदस्य ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। सम्मेलन के पहले दिन सभी बिरादराना ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने भाग लिया और उनका अभिनंदन किया। एटक की ओर से, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष और सांसद के.सुब्बारायण ने अपने विचारोत्तेजक भाषण के साथ इस कार्यक्रम का अभिनंदन किया।

लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन का सम्मेलन तीन साल के बाद हो रहा है और यह अपनी स्थापना का 50वां वर्ष मना रहा है। इस मौके पर एटक ने एलपीएफ को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी।

जब हम शांतिपूर्वक सम्मेलन मना रहे हैं, स्वतंत्र भारत अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। आजादी के बाद का भारत गहरे संकट का सामना कर रहा है। राजनीतिक और सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में आने वाली कठिनाइयाँ वास्तव में हमारा गला घोंट रही हैं।

यहां 44 श्रम कानूनों के बदले नई लेबर कोड्स का उल्लेख किया गया है। ये सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा रचित नहीं हैं। यदि इन नई संहिताओं की उत्पत्ति की पहचान और खुलासा नहीं किया गया, तो भारत और इसके श्रमिक वर्ग को गुमराह किया जाएगा। इसकी जड़ में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी है। दुनिया भर के विकासशील देशों में, राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करने के लिए, आर्थिक नीतियां तय करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए, सहायता के नाम पर ऋण देकर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए, जो किया जा रहा है वह एक जाल के अलावा और कुछ नहीं है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ये ट्रिनिटी और कुछ नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के उपकरण भर हैं। और भारत इन संस्थानों द्वारा फंसाये गये विकासशील देशों में से एक है। कारण और प्रभाव नए श्रम कोड में समाहित हैं।

बाद अमेरिका के वाशिंगटन में एक इंवेस्टर्स मीट में बोलते हुए मोदी ने निर्लजता से कहा था कि भारत में सस्ता श्रम उपलब्ध है यदि वे हमारे देश में निवेश करें तो। इस प्रकार, वह हमारे श्रमिक वर्ग को कम कीमत पर बेचने के लिए अक्षम्य है। केवल कारपोरेट के पक्ष में लेबर कोड लाने के लिए मोदी ने अब श्रम कानूनों को कमजोर कर दिया है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम विश्व व्यापार संगठन के हस्ताक्षरकर्ता हैं। बहुत सारी शर्तें हैं। जिन लोगों को इस देश पर शासन करने के लिए अधिकृत किया गया है, उन्हें संसद में उन शर्तों के बारे में स्पष्ट रूप से एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। तभी इस देश के लोग इसके बारे में जान सकते हैं।

उदाहरण के लिए, इस देश के किसानों और खेत मजदूरों ने उचित समर्थन मूल्य के लिए आंदोलन किया। यह एक वास्तविक मांग है। लेकिन केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं थी। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन इसकी अनुमति नहीं देता है। यह सब कुछ व्यापारी वर्ग ही तय कर सकता है। इसलिए, मोदी सरकार इसे एक हस्ताक्षरकर्ता होने का हवाला देकर किसानों और निश्चित रूप से राष्ट्र के हित के खिलाफ काम कर रही है। देशद्रोही होने के नाते पहले प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को गिरफ्तार किया जाना है। इन लोगों की गतिविधियां देशद्रोह को बढ़ावा दे रही हैं। इसलिए वे देशभक्ति की बात नहीं कर सकते। उन्हें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्योंकि, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ काम किया और माफी मांगने के लिए अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे।

मजदूर वर्ग को उन अधिकारों की जब्ती पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें एक सदी में बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया था। इस तरह के कानून बनाकर उन्हें 19वीं सदी की गुलामी के दौर में वापस ले जाया गया है। यदि राज्यों में भी यही लागू किया गया तो वे मजदूरों का गला घोंट देंगे। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा यही प्रयास किए जा रहे हैं।

मैं लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन को बधाई देता हूं और उसकी सराहना करता हूं। मैंने सपना भी नहीं देखा था। मुझे दुख हुआ कि डीएमके के शासन में 12 घंटे काम का कानून आ गया। साथ ही, एलपीएफ के प्रतिनिधि के रूप में साथी शनमुगम के विरोध पर सभी ट्रेड यूनियन हैरान थीं। चूंकि उन्होंने इस कानून को स्वीकार न करने का स्टैंड लिया था, इसलिए उनके शक्तिशाली हस्तक्षेप ने कानून को वापस ले लिया गया। इसके लिए उनका योगदान इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। मैं साथी शनमुगम और एलपीएफ को फिर से बधाई देता हूं।

तमिलनाडु में ट्रेड यूनियनों के बीच एकता स्थापित करने में वे केले के धागे की तरह हैं जो माला के फूलों को जोड़ते हैं। यह वास्तव में एलपीएफ है। धन्य हैं ऐसा नेता पाकर। बिरादराना ट्रेड यूनियनों के साथ भी उनका योगदान बहुत अधिक है।

कलैगनार एक अविस्मरणीय महापुरुष हैं। मैं 1996 से 2001 के दौरान तिरुपुर विधायक था। वर्ष 1982 में, एमजीआर शासन के दौरान, मदुरै समकक्षों के संघर्ष के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए माधवरम में 1200 एविन मिल्क डेयरी श्रमिकों को एक दिन के लिए हड़ताल करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। जब मैंने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया, तो बहस के बाद, कलिगनार ने मुख्यमंत्री के रूप में उन सभी बर्खास्त कर्मचारियों को निरंतर सेवा और वेतन लाभ के साथ बहाल करने की घोषणा की। माँ के जैसे दिल वाले कलैगनार द्वारा की गई यह वास्तव में अजीबोगरीब घोषणा थी। उस यूनियन के सचिव टी.एम.मूर्ति यहां उपस्थित हैं।

कलैगनार के राजनीतिक उत्तराधिकारी अब राज्य पर शासन कर रहे हैं। बहस के बाद पास हुए कानून को वापस लेना बहुत दुर्लभ है और भाई स्टालिन ने सीएम के रूप में ऐसा किया है। आज बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग को एक वर्ग के रूप में एकजुट होना चाहिए और बहुराष्ट्रीय निगमों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करनी चाहिए। वही हमें बचा सकता है। क्योंकि कई क्षेत्रों में मजदूरों को छोटे मजदूरों में बदल दिया गया है। जैसे कलैण्डर में किसी पत्ते को फाड़कर कार्यबल को फाड़कर फेंक दिया जाता है। इसलिए हमें तब तक संघर्ष करना होगा जब तक कि नई श्रम संहिता को खत्म नहीं कर दिया जाता।

इसके लिए राजनीतिक कुशाग्रता के साथ गहन, विस्तृत, एकता की आवश्यकता है। कार्यकर्ता को विश्वरूपम लेना चाहिए। भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र था या नहीं, मालूम नहीं, परंतु श्रमिक वर्ग ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो सारा विरोध जलकर खाक हो सकता है। एक रस्सी की तरह जो एक विशाल रथ को चलाती है, भारतीय रथ को एकीकृत कार्यबल द्वारा चलाया जाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि यह 103 साल पुराने एटक की ओर किया जाए, जिसने आजादी से पहले और इस देश के लिए खून बहाकर लड़ाई लड़ी है।

सम्मेलन में एटक के राष्ट्रीय सचिव टी एम मूर्ति, तमिलनाडु के अध्यक्ष एस काशीविश्वनाथन, महासचिव एम राधाकृष्णन ने भी भाग लिया।

भाकपा ने सूडानी कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले की निन्दा की

नई दिल्ली, 25 मई 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने 25 मई, 2023 को बयान जारी कर रैपिड सपोर्ट फोर्स से संबंधित सशस्त्र सैन्य समूहों द्वारा सूडान की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर हमले और कब्जे की कड़ी निंदा की है। अब सूडानी कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यालय रैपिड सपोर्ट फोर्स के मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

सूडानी सेना और रैपिड सपोर्ट बलों के बीच युद्ध छिड़ने के बाद, सूडानी लोग एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं जहां रैपिड सपोर्ट फोर्स के सशस्त्र समूहों द्वारा विभिन्न संस्थानों की हत्या, बर्बरता और कब्जा करना हर दिन का क्रम बन गया, सभी व्यक्तियों के हकों और मानवाधिकारों का उल्लंघन भी उसका काम बन गया है। तानाशाही के खिलाफ और एक लोकतांत्रिक सूडान की स्थापना के लिए सूडानी लोगों के जन–उभार में क्रांतिकारी इतिहास और उनकी वर्तमान भूमिका को पूरी तरह से जानने के बाद, इस तरह के हमले युद्ध को समाप्त करने और शांति स्थापित करने और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सूडानी कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्ष को जारी रखने के संकल्प को रोक नहीं सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के कृत्यों की निंदा करते हुए, सूडानी कम्युनिस्ट पार्टी को मुख्यालय तत्काल सौंपने की मांग करती है और सूडान और सूडानी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दोहराती है।

विज्ञान से मिथक तक

'क्या अब संत बनाएंगे संविधान?'

डॉ. अरुण मित्रा

28 मई को जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। पहली, संसद भवन के नए भवन का उद्घाटन किया गया और उस उद्घाटन पर संतों को एकत्रित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया।

दूसरी घटना में, सेंगोल को प्रधान मंत्री द्वारा दंडात्मक प्रणाम के साथ संसद में स्थापित किया गया। लेकिन संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह दवारा यौन उत्पीड़न की शिकार न्याय की मांग कर रही देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवानों को पुलिस द्वारा घसीटते हुए ले जाकर जंतर मंतर से हटा दिया गया तथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दायर कर दी गई।

इन तीन घटनाओं का विश्लेषण करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में इनका हमारे देश और समाज पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है।

प्राचीन काल में जब विज्ञान कम विकसित था, समकालीन संतों को ज्ञानी माना जाता था। वह राजा का मार्गदर्शक हुआ करते थे, वह राज तिलक के समय उपस्थित रहते थे और साथ ही उस समय की राज्यसत्ता के आचरण की व्याख्या करते थे। शिक्षा समाज के एक वर्ग के लिए ही सीमित थी, इसलिए किसी अन्य वर्ग या जाति का कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए केवल संत–महात्मा ही ज्ञानी समझे जाते थे और मार्गदर्शक थे।

अब समय बदल गया है, विज्ञान ने हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। राजनीतिक क्षेत्र में भी राजतंत्र को समाप्त कर विश्व में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। इस समय संतों को संसद में लाना ना केवल प्राचीन सोच का प्रतीक है और लोकतंत्र की बजाय राजशाही को तरजीह देने और लोगों की आस्था का इस्तेमाल कर उन्हें पिछड़ेपन में झोंकने की चाल है। यह देश, संविधान और सामाजिक समरसता के लिए एक बड़ी चुनौती है, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के विपरीत है और अवैज्ञानिक भी है।

सेंगोल, जो लगातार प्रचारित किया जा रहा है और झूठे प्रचार से बार–बार दोहराया जा रहा है, तमिलनाडु में राजाओं को जीत प्राप्त करने के उपरांत राज्याभिषेक के अवसर पर दिया जाता था। कई अन्य उपहारों के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सैंगोल भी दिया गया था। उस समय भारत की जनता ने ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त कर स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की स्थापना की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या जीत हासिल की है? सेंगोल की तारीफ करना राजशाही का महिमामंडन करना है और यह लोगों के दिमाग में सामंती युग सोच पैदा करने की बहुत गहरी साजिश है। यह साजिश प्रत्यक्ष रूप में उसी दिन साबित हो गई जब न्याय की मांग कर रही महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी की गई।

हमारे देश की आजादी के पीछे वैज्ञानिक सोच का बहुत बड़ा योगदान है। इस बारे में शहीद भगत सिंह के कई बयान हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद भी कम्युनिस्टों और प्रगतिशील लोगों ने देश और समाज के विकास के आधार के रूप में वैज्ञानिक चेतना की आवश्यकता का प्रचार किया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वैज्ञानिक सोच पर बहुत जोर दिया था।

आजादी के बाद पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में विज्ञान की बात की थी और कहा था कि देश के विकास के लिए हमें विज्ञान से रोशनी मिलेगी। उन्होंने हमेशा वैज्ञानिक उपलब्धियों को ही मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों या गिरजाघर की संज्ञा दी। विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। विज्ञान ने पारंपरिक मान्यताओं को तथ्यों के आधार पर एक नई रोशनी में देखना संभव बना दिया है। वैज्ञानिक सोच को कमजोर करने वाली और भारतीय समाज के सर्वांगीण और शांतिपूर्ण विकास को रोकने वाली चीजों को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिएं। इसीलिए हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म को राज्य सत्ता से दूर रहना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश बन सका।

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के बाद के राजनेताओं के एक बड़े वर्ग ने महसूस किया कि देश में सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन, अंधविश्वास और जीवन के पारंपरिक

तरीके, जिसमें देश उलझा हुआ था, की बेड़ियों को तोड़ने की सख्त जरूरत थी। इसके लिए प्रौद्योगिकी आधार विकसित किया जाना चाहिए।

वैज्ञानिक पद्धति और दृष्टिकोण ही मानव जीवन को बदल सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में विज्ञान की भूमिका का विचार भारतीय संसद द्वारा 04 मार्च 1958 को अपनाई गई वैज्ञानिक नीति में परिलक्षित होता है।

इसलिए जरूरी है कि तार्किक और वैज्ञानिक सोच का विकास किया जाए। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ही लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच का विकास होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक चेतना को इस स्तर पर लाया जाए कि व्यक्ति सही–गलत का निर्णय कर सके और तर्क से किसी बात को स्वीकार करने या न करने का निर्णय ले सके। किसी चीज को केवल इसलिए स्वीकार कर लेना कि वह एक परंपरा है वैज्ञानिक सोच के विपरीत है।

इस वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के सन्दर्भ में अनेक प्रयास हुए हैं। कई गैर–सरकारी संगठनों ने जन जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए हैं। सरकार ने भी कई जगहों पर इस तरह की पहल के लिए हामी भरी।

लेकिन अब समय बदल गया है। सत्ता में बैठे लोग रूढ़िवादी सोच के धारक हैं और वैज्ञानिक सोच को विकसित करना तो दूर की बात, वे लोगों की विचार शक्ति को कुंद करना चाहते हैं और समाज को अपनी योजनाओं के अनुसार ढालना चाहते हैं। चूंकि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए वे देश का अर्थ ही नहीं जानते। अतः वे देश को प्राचीन काल में और समाज को रूढ़िवादिता और पुरानी रीति रिवाजों में ही उलझाए रखना चाहते हैं और इसके लिए उनके द्वारा निरन्तर प्रयास किए जाते रहे हैं। टेलीविजन के माध्यम से अनुष्ठानों का व्यापक प्रचार किया गया। दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाई गई। हिन्दू समाज के भीतर भी दलित वर्ग का केवल उपयोग ही किया जा रहा है। वे अंबेडकर से नफरत करते हैं लेकिन उनका इस्तेमाल करते हैं। गांधी के प्रेम के संदेशों के बजाय घृणा और हिंसा के शब्दों में विश्वास करते हैं। उनके विचारक सावरकर ने गांधी के मानवता के विचारों को नपुंसकता तक कह दिया।

इनका खोखलापन तब सामने आया जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राचीन काल में भारत में उड़न खटोले थे और भारत में सर्जरी इतनी उन्नत थी कि एक हाथी के सिर को एक मानव शरीर से जोड़ सकते थे। राजस्थान हाई कोर्ट के एक जज ने कहा कि मोरनी जब मोर के आंसू पीती है तो उसके बच्चे पैदा होते हैं। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति नागेश्वर राव ने कहा कि देश में स्टेम सेल पद्धति इतनी उन्नत थी कि स्टेम सेल से 100 कौरव बच्चे पैदा हो सके।

जब कोरोना शुरू हुआ, तो नरेंद्र मोदी ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ 21 दिनों में कोरोना को खत्म कर देंगे और लोगों से कहा कि कोविड को भगाने के लिए ताली बजाओ, दीये जलाओ, थाली बजाओ और शंख बजाओ। 'कोरोना के इलाज के लिए गोमूत्र का उपदेश दिया गया। गोबर का लेप करने से कोरोना से बचाव हो सकता है और परमाणु बम के प्रभाव से भी बचा जा सकता है, ऐसी तथ्यहीन बातें दोहराई गई। हालांकि पशु चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों ने इन बातों का खंडन करते हुए यहां तक कह दिया कि गोमूत्र का सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। यहीं नहीं मोदी के अंधभक्त मोदी को महा मानव कहने लगे।

लेकिन ये ड्रामे ज्यादा दिन नहीं चलते। प्रेम और शांति मनुष्य का मूल स्वभाव है। परंतु समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इसलिए सभी प्रकार के झूठे प्रचार का पुरजोर विरोध करना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक समझ के मजबूत होने से लोगों की सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी बढ़ेगी, जो इन रूढ़िवादी ताकतों को सत्ता से हटाने के लिए बहुत जरूरी है।

तकरड़ा के शहीदों को लाल सलाम: शहादत की 75वीं जयंती पर सांप्रदायिक फासीवाद से संघर्ष का शपथ

रमेश पाढ़ी

भुवनेश्वर: 24 मई 2023 को तकरड़ा गांव में पुलिस गोलीबारी के शहीदों की 75वीं जयंती मनाई गई। तकरड़ा शहीद स्मृति समिति के नेतृत्व में आयोजित एक सभा में सामंती शोषण के खिलाफ किसानों के प्रसिद्ध आंदोलन के छः शहीदों के बलिदान को याद किया गया। तकरड़ा शहीद स्तूप पर भाकपा राष्ट्रीय सचिव रामकृष्ण पांडा, गंजाम जिला सचिव प्रकाश पात्रा, ''नुआ दुनिया'' साप्ताहिक के संपादक रमेश पाढ़ी, वामदल के नेता भालचंद्र षाड़ंगी, गोपाल पाणिग्रही, अबनि गया और इतिहासकार ऋषिकेश पात्रा, अनंतराम करेड एवं अन्य साथियों ने फूलमालाएं चढ़ाई।

इस अवसर पर आयोजित सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि –गायक शोभाचंद्र षाडंगी ने की और बैठक का संचालन पत्रकार विध्नेश्वर साहू ने किया। तकरड़ा के शहीदों की याद में कामरेड डी.के. पांडा द्वारा लिखे प्रसिद्ध गीत... ''जल जल जल स चिंतनला'' को रमेश पाढ़ी ने गाया।

सभा के वक्ताओं ने प्रसिद्ध रय्यत आंदोलन और जागीदार प्रथा को खत्म करने में हुए शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। 75 साल पहले पुलिस की क्रूर गोलीबारी में 12 वर्षीय हेमा सहित पांच अन्य साथी मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

सभा के मुख्य वक्ता रामकृष्णा पांडा ने कहा कि आज तकरड़ा के शहीदों की 75वीं जयंती पर सांप्रदायिक–फासीवादी शासन और कॉर्पोरेट कृषि के नव जमींदारी शोषण के खिलाफ संघर्ष करने की शपथ लेना तकरड़ा के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर उड़ीसा में भाकपा के स्थापक गरुरूचरन पट्टनायक द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक स्मृति ''गंजम के रक्त'' के नये संस्करण का विमोचन किया गया।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में सय्यत सभा ने गंजाम जिला के किसानों को संघटित किया गया था, रय्यत सभा ने जमींदारों, मुस्तदारों और इनामदारों के निष्ठुर ब्रिटिश भारत में शोषण के खिलाफ लड़ने के साथ–साथ आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद भी जमींदारों का शोषण जारी रहा। किसान धान या अन्य फसल तब तक नहीं काट सकते थे जब तक कि जमींदार का आदेश न मिले। फसल और अन्य खेत उपज जमींदार की हवेली पर ले जाई जाती थी।

किसानों को धान की इतनी कम मात्रा दी जाती थी जो कि किसानों के परिवारों के जिंदा रहने के लिए पर्याप्त नहीं होती थी। गंजाम जिले के रय्यत ने आजादी के बाद के दिनों में ''लांगला जहार, जमी तहार'' (जमीन जोतने वाले की) और ''जमींदार शोषण व्यवस्था बंद करो'' के साथ अपने संघर्ष को जारी रखा था। किसानों ने शोषक सामंतों को राजस्व देने और फसल देने से मना कर दिया था और जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने और जोतदारों को जमीन की मांग पर व्यापक किसान सभाएं उसका, शेरगढ़ और बेराहमपुर में हुई।

राज्य सरकार ने शोषक जमींदारों और जागीरदारों का समर्थन किया और पुलिस एवं सेना बलों ने रय्यत आंदोलन को कुचल दिया। रय्यत सभा और भाकपा नेताओं की पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू कर दी थी और पुलिस ने रय्यत सभा नेता कामरेड गोविंद चंद्रप्रधान और दूसरे रय्यत नेताओं की गिरफ्तारी के लिए किसानों के घरों की तलाशी ली। जब पुलिस गोविंद प्रधान को नहीं खोज पाई तो उन्होंने किसानों के घरेलू सामान और अनाज को लूटा।

कामरेड भगवती पाणिग्रही, साधुचरण मोहंती, गुरुचरन पट्टनायक और अन्य कम्युनिस्ट नेताओं ने रय्यत आंदोलन के प्रमुख केंद्र शेरगढ़ और तकरड़ा का लगातार दौरा किया और किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।

1 मई 1948 को हजारों पुलिसकर्मी और सैनिक किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए शेरगढ़ के राजा के महल में पड़ाव डाला। किसानों को डराया–धमकाया गया, यंत्रणा दी गई और उन्हें असहनीय पीड़ाएं दी गई।

उस विनाशकारी दिन 24 मई को तकरड़ा गांव में सशस्त्र पुलिस बल ने घरों की तलाशी ली और वहां मौजूद किसानों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। आसपास के गांवों के हजारों लोगो ने इन गिरफ्तारियों का विरोध किया। सशस्त्र पुलिस बल ने बिना किसी सूचना के लाठीचार्ज कर दिया और अंधाधुंध तरीके से गोलीबारी शुरू कर दी। इस पुलिस गोलीबारी में 12 वर्षीय हेमा बडत्था समेत कनधुनी दकुआ, सुबेनी बेहरा, रहाशा दास, अर्जुन बोरादा, बौरी बोरादा मारे गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए।

तकरड़ा में पुलिस क्रूरता और तकरड़ा में आंदोलनकारियों की शहादत ने हलचल पैदा कर दी और रय्यत सभा संघर्ष को भारी जनसमर्थन मिला। परिणामस्वरूप 1949 में उड़ीसा विधानसभा को जमींदारी व्यवस्था और मुस्तदारों और इनामदारों के क्रूर बिचौलिये लूट पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। गंजाम और दूसरे अन्य सौइयों गांवों के किसान जो कि सामंती शोषण से पीड़ित थे वे अब अपनी खेती की जमीन के मालिक बन गए थे।

गंजाम जिले में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और रय्यत सभा के नेता कामरेड गोविंद चंद्र प्रधान 1952 में जेल में थे पर किसानों, मजदूरों और आम जनता में लोकप्रियता के कारण जेल में होने के बावजूद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के नेताओं जैसे कि कामरेड हरिहर दाश, द्युति कृष्णा पांडा, सदानंद मोहंती, लक्ष्मन माहापात्रा और बिश्वनाथ साहू ने रय्यत सभा संगठन का साथ दिया और गंजाम जिले में व्यापक पाटी आधार तैयार किया। किसानों का संयुक्त आंदोलन और तकरड़ा के किसानों की शहादत रंग लाई। तकरड़ा का इतिहास रचने वाले शहीदों को हर साल याद किया जाता है।

भाजपा हटाओ–देश बचाओ जनसंपर्क पैदल यात्रा

उत्तराखण्ड राज्य में भाकपा का भाजपा विरोधी अभियान

जगदीश कुलियाल

भाकपा के राष्ट्रीय आहवान पर पूरे उत्तराखण्ड़ में भाजपा हटाओ, देश और संविधान एवं जनता बचाओ अभियान के तहत पदयात्राओं और जन जागरण अभियान चलाया गया। राज्य भर से प्राप्त समाचार निम्न प्रकार हैं:

उत्तरकाशी

उत्तरकाशी के जिला सचिव महावीर भट्ट के नेतृत्व में मरतलाल, नयन सिंह, शान्तिलाल, नारायण सिंह, मायाराम आदि के जत्थे ने लालघाटी गाजणा के 24 गांवों का पैदल भ्रमण कर पम्पलेट्स वितरण के साथ नुक्कड़ सभाएँ भी की। महावीर मट्ट के नेतृत्व में दूसरी टोली में किशन सिंह, प्रेम सिंह, महावीर सिंह, देवेन्द्र सिंह, कमललाल आदि ने भटवाड़ी ब्लॉक,

बाजार, मल्ला, लाटा, मनेरी होना, नेताला गवाणा, गंगोत्री, उत्तरकाशी, जोशियाड़ा, लदाड़ी, ज्ञानसू, गातली अकाली, रतूड़ी सेरा आदि स्थानों पर सैकड़ों घरों तक जनसम्पर्क किया।

टिहरी

टिहरी में दो जत्थों ने उक्त कार्यक्रम किया जिसमें पहला जत्था राज्य सचिव श्री जगदीश कुलियाल के नेतृत्व में नरेन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के पट्टी दोगी, धमान्दस्यूँ कुँजणी के लगभग 50 गांवों में सैकड़ों घरों तक सोबन भण्डारी, शिवा भण्डारी, राजेश, कृष्णदत्त, सुभाष सिल्सवाल ने पैदल भ्रमण कर पम्पलेट्स बांटते हुए जनसम्पर्क किया, रात्रि में चौपाल लगाकर किसान सभा के सदस्य व पार्टी के उम्मीदवार सदस्य भी बनाए। दूसरे जत्थे में जिला सचिव विनोद सेमल्टी के साथ अन्य साथी टिहरी विधानसभा क्षेत्र के चम्बा टाउन के

शेष पेज 14 पर...

मोदी सरकार के नौ साल, आम जनता बेहाल

मधेपुरा, 30 मई 2023: भाकपा के राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान के तहत 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती से जारी भाकपा मधेपुरा की गांव गांव–शहर शहर पदयात्रा का समापन आज यहां सदर प्रखण्ड के खोपैती में हुआ। भाकपा कार्यकर्ताओं ने खोपैती गांव में आज पदयात्रा कर केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार किया।

इस अवसर पर भाकपा नेता एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक डॉ. सुबोध नारायण मालाकार ने कहा कि मोदी सरकार के नौ वर्षो में आमलोगों की मुश्किलों में बेइंतहा इजाफा हुआ है। सरकार के सबका साथ, सबका विकास का नारा पूरी तरह खोखला साबित हो चुका है। एक तरफ जहां गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं मनरेगा, सामाजिक पेंशन तथा आवास योजनाओं में केन्द्रीय आवंटन घटाकर सरकार गरीबों के साथ क्रुर मजाक की है वहीं किसानों की चिरप्रतीक्षित मांग फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी से इंकार कर सरकार किसानों की आय दोगुना करने के अपने वादे से मुकर गई है।

भाकपा के राष्ट्रीय परिषद् सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने लड़ो या मरो का नारा देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से जनसत्याग्रह एवं जेल भरो आंदोलन को ऐतिहासिक बनाने में अपनी चट्टानी एकता का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाए बिना देश को बचाना संभव नहीं।

पार्टी के राज्य सचिवमंडल सदस्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि जनसत्याग्रह के दौरान मोदी सरकार की नाकामियों के साथ जनसरोकार से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए वासभूमि रहित भूमिहीन परिवारों को आवासीय जमीन, सभी परिवारों को राशनकार्ड, सभी बूढ़े–बूढ़ियों को पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाओं में हो रहे लूट–खसोट पर आवाज बुलंद की जाएगी।

भाकपा के जिला सचिव विद्याधर मुखिया ने कहा कि जिले में डेढ़ माह तक चले भाजपा हटाओ–देश बचाओ पदयात्रा अभियान में जिले में अपार जनसमर्थन मिला। उन्होंने कहा कि विकास उन्मूलन तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं में अनियमितता के खिलाफ चरणवार आंदोलन को विकसित किया जाएगा।

पदयात्रा में पार्टी के राज्य परिषद सदस्य इंदु भूषण वर्मा, उमाकांत सिंह, मधेपुरा के अंचल मंत्री पूर्व मुखिया बाल किशोर यादव, सहायक जिला मंत्री मुकुंद प्रसाद यादव, पैक्स अध्यक्ष एवं पार्टी के वरीय नेता अंबिका मंडल, जगत नारायण शर्मा, अनिल भारती, रमेश कुमार शर्मा, बिंदेश्वरी यादव, छोटी यादव, गजेंद्र यादव, ललन राम,अरुण कुमार तांती, जयप्रकाश महतो, बबलू मुर्मू, चंद्रशेखर पौदार, छतरी राम आदि बड़ी संख्या में पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता शामिल थे।

सत्याग्रह एवं जेल भरो आन्दोलन में प्रभात फेरी, मशाल जुलूस एवं मोदी का पुतला दहन

मढ़ौरा (सारण), 5 जून 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुआरा पट्टी शाखा की ओर से 8, 9 जून को जिला समाहर्त के समक्ष सत्याग्रह एवं जेल भरो आन्दोलन के समर्थन में प्रभात फेरी, मशाल जुलूस एवं मोदी का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका नेतृत्व जिला सचिव राम बाबू सिंह एवं तन्जीमे इंसाफ के अध्यक्ष प्रोफेसर रजाक हुसैन ने किया।

पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंचायत के विभिन्न गांवों में मशाल जुलूस बना कर भ्रमण किया और 'भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ', '8 जून को छपरा चलो', 'संविधान बचाओ, अंबानी–अडानी को जेल में बंद करो', 'महंगाई, बेकारी पर रोक लगाओ', 'नई शिक्षा नीति बंद करो', 'किसानों का कर्ज माफ करो', नारों के बीच मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया।

इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जिला सचिव रामबाबू सिंह ने कहा कि मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी केंद्र में भाजपा सरकार को हटाने के लिए 8 जून को जेल भरो प्रदर्शन को सफल बनायें। आयोजन में मुख्य रूप से रामबाबू सिंह, मोहम्मद रजाक हुसैन, बिरेंद्र प्रसाद, प्रेम सुंदर, साहिल नुरैन, राजदेव, शमसुद्दीन, डॉक्टर नुसरत अली, शहादत अली, चांद, मंसूर, मकसूद, वसीम अकरम आदि लोग शामिल थे।

प्रमोद प्रभाकर

भाकपा कार्यकर्ताओं का मधेपुरा में दो दिवसीय शिक्षण शिविर

मधेपुरा, 29 मई 2023: मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक दर्शन है जो शोषणविहीन तथा बराबरी पर आधारित समाज की स्थापना के लिए कृत संकल्पित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्वाधीनता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान रहा है तथा आजाद भारत में देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। उक्त बातें मधेपुरा के खोपैती में मधेपुरा पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व मुखिया अनिरुद्ध मुखिया की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को सम्बोधित करते हुए जेएनयू, दिल्ली के अवकाश प्राप्त शिक्षक प्रो. सुबोध मालाकार ने कही।

उन्होंने जातिवाद तथा सम्प्रदायवाद को समाज के विकास में मुख्य बाधक बताते हुए पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। शिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए भाकपा के राष्ट्रीय परिषद् सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने देश के संविधान तथा लोकतंत्र पर विद्यमान संकट का सामना करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सशक्त तथा जनसरोकार के मुद्दों पर तीखा संघर्ष आरंभ करने को वक्त का तकाजा बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी राष्ट्रव्यापी राजनीतिक अभियान चलाकर केन्द्र की भाजपा–आरएसएस की सरकार की नाकामियों को जन संवाद के माध्यम से पदयात्रा द्वारा आमलोगों के बीच ले जा रही है और आगामी 8–9 जून को राज्यव्यापी आह्वान पर समाहरणालय पर आहुत जनसत्याग्रह–जेल भरो आंदोलन को कामयाब कर पार्टी जनसमस्याओं के निदान के लिए अनवरत आंदोलन के लिए संकल्पित है।

शिक्षण शिविर को पार्टी के राज्य सचिवमंडल सदस्य अजय कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्तमान चुनौती का सामना करने के लिए पार्टी संगठन को सक्रिय तथा जनांदोलन को तेज करने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत पार्टी के वरीय नेता रमन कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन से हुई, तत्पश्चात उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की।

शिक्षण शिविर की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव विद्याधर मुखिया ने की।

शिक्षण शिविर में भाकपा के राज्य परिषद सदस्य इंदु भूषण वर्मा, शैलेंद्र कुमार, उमाकांत सिंह, मुखिया प्रतिनिधि पवन कुमार, उमेश यादव, पार्टी के वरीय नेता बाल किशोर यादव, जगत नारायण शर्मा, बिंदेश्वरी यादव, मोहम्मद जहांगीर, शंभू क्रांति, रमेश कुमार शर्मा, मोहम्मद सिराज, कृष्णा मुखर्जी, सोहन पौदार, गजेंद्र यादव, जयप्रकाश महतो, अंबिका मंडल, चंद्रशेखर पौदार, अरुण कुमार तांती, ललन राम, छतरी राम, कुंदन यादव, लूड़ी राम, अजीत शर्मा, सिकंदर मंडल आदि बड़ी संख्या में भाकपा के कार्यकर्ता एवं शाखा मंत्री उपस्थित थे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन्दौर जिला परिषद की विस्तारित बैठक सम्पन्न हुई

इंदौर, 5 जून 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इंदौर जिला परिषद की विस्तारित बैठक 4 जून 2023 को सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता चुन्नीलाल वाघवानी ने की।

इस मौके पर भाकपा प्रदेश सचिव मंडल सदस्य एवं एटक अध्यक्ष हरिद्वार सिंह एवं सचिव मंडल सदस्य विजेन्द्र सोनी बैठक में शरीक हुए एवं कार्यकर्ताओं को मार्ग–दर्शन देकर प्रोत्साहित किया। बैठक में सर्वप्रथम बालासोर में हुई रेल दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में इंदौर, बडवानी, राजपूत सेंधवा के कार्यकर्ता भी शरीक हुये। बैठक में पार्टी की सदस्यता बढाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं विधानसभा क्षेत्र क्रं. 2 से दिलीप कौल को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया एवं राजपूत सेंधवा बडवानी में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवार खडे किये जाने निर्णय लिया गया।

हरिद्वार सिंह ने कहा कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं के निराकरण करने के बजाए धार्मिक भावना भडकाकर आपस में झगडे कराना चाहती है। हरिद्वार सिंह ने कहा कि जब महिला पहलवान मेडल जीत कर लाती हैं तो प्रधानमंत्री देश का गौरव बताते हैं, लेकिन महिला खिलाडियों के आंदोलन को कुचलवाते हैं और यौन उत्पीड़न के आरोपी नेता का साथ देतें हैं। पार्टी की प्रगति रिपोर्ट सचिव रूद्रपाल यादव ने रखी एवं आभार हरनाम सिंह चावडी ने व्यक्त किया।

कुछ सामयिक मुद्दे और घटनाक्रम

आर.एस. यादव

राजद्रोह कानून के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट

राजद्रोह कानून को समाप्त किया जाए, इसे संबंध में देश में लगातार बहस चलती रही है और व्यापक तौर पर यह विचार सामने आता रहा है कि इस कानून को समाप्त किया जाए क्योंकि यह कानून अंग्रेजों ने भारत में अपनी सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को सख्ती से दबाने के लिए बनाया था और स्वतंत्र भारत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

देश के प्रबुद्ध जन मानस के लिए अवश्य ही यह गंभीर चिंता का विषय है कि विधि आयोग ने न केवल राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की बल्कि इसके लिए और अधिक सजा की सिफारिश की है। इस सिफारिश से नजर आता है कि सरकार दमनकारी कानूनों को खत्म करने के बजाए उन्हें और कठोर बनाने की दिशा में काम कर रही है। चिंता यह भी है कि विरोध एवं असहमति की आवाजों को कुचलने के लिए मोदी सरकार पहले ही अत्यंत नृशंसतापूर्ण बर्ताव कर रही है और कानूनों को और कठोर बनाने का इसके सिवा कोई अर्थ नहीं निकलता कि आगामी दिनों में इस नृशंसता में वृद्धि होने का खतरा है। क्या सरकार की मंशा 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अपने दमनतंत्र पर सान चढ़ाने की है?

विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में इस तर्क को खारिज किया है कि यह कानून औपनिवेशिक विरासत की निशानी है और इसे अक्सर स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, अतः इस कानून को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। विधि आयोग ने तर्क दिया कि ''भारतीय कानूनी प्रणाली का समूचा फ्रेमवर्क एक औपनिवेशिक विरासत है'' अतः किसी कानून को इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि वह औपनिवेशिक विरासत की निशानी है।

विधि आयोग ने तर्क दिया है कि यह कानून खराब नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के संबंध में जो चिंता व्यक्त की है वह इस कानून के ''दुरूपयोग'' के कारण है; यह दुरूपयोग अति उत्साही पुलिस के कारण है जो कानून की गलत व्याख्या कर लेती है। विधि आयोग ने कहा है कि ''राजनीतिक वर्ग पर राजद्रोह कानून के दुरूपयोग का आरोप लगाया जा सकता है परंतु समस्या की जड़ में पुलिस की सहापराधिता है। कभी–कभी वह अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के अति उत्साह में काम करती है और इस संबंध में पुलिस की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो जाती है और कानून के अनुसार नहीं होती''।

कमाल है, विधि आयोग जैसी संस्था इस तथ्य को नजरअंदाज कर रही है कि ''राजद्रोह'' जैसे क्रूरतापूर्ण कानून का इस्तेमाल प्रायः सरकार के इशारे पर किया जाता है, उसमें पुलिस का स्वतंत्र निर्णय या उसकी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी बार–बार उठता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2022 को राजदोह कानून पर रोक भी लगा दी थी। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाए और पुनर्विचार कर राजद्रोह कानून यानी 124–क के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। सरकार ने कानून को जारी रखने के संबंध में जबर्दस्त पैरवी की थी परंतु उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ देकर अनुरोध किया था कि उसने धारा 124–क की समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है, अतः इस कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। तब से ही यह मामला आज तक स्थगित है।

सरकार के शपथ पत्र पर सुनवाई को स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार के इस अनुरोध को देखते हुए ''यह स्पष्ट है कि इस अदालत ने जो यह प्रथम दृष्टतया राय व्यक्त की थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124–क वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है और इस कानून बनाने का उद्देश्य उस समय के लिए था जब भारत औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, भारत सरकार उससे सहमत है''।

धारा 124–क की समीक्षा करने और उस पर पुनर्विचार करने के संबंध में भारत सरकार के शपथपत्र में जो आश्वासन दिया गया था, विधि आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, वह समीक्षा और पुनर्विचार के उसी क्रम का हिस्सा हैं।

राजद्रोह कानून को जारी रखने के संबंध में सरकार की कोशिश लगातार जारी है और विधि आयोग ने हाल में राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की जो सिफारिश की है, वह इसी कोशिश का एक हिस्सा है।

मोदी सरकार ने विभिन्न संस्थानों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं स्वायत्तता को जिस तरह कमजोर कर दिया है, उसे देखते हुए यह आशंका करना अनुचित न होगा कि सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए एक तर्क चाहिए था और विधि आयोग ने यह सिफारिश कर उसे वह तर्क प्रदान कर दिया है। प्रतीत होता है कि सरकार ने तय कर दिया था कि उसे क्या सिफारिश चाहिए, विधि आयोग ने अत्यंत आज्ञाकारी रवैया अपनाते हुए वही सिफारिश कर दी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क राजद्रोह को इस प्रकार परिभाषित करती है:''जो कोई, बोले गए या लिखे गए शब्दों से, या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपण द्वारा, या अन्यथा घृणा या अवमानना पैदा करेगा या ऐसा करने का प्रयास करता है, या उत्तेजित करता है या विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जा सकता।''

विधि आयोग ने उपरोक्त परिभाषा में तीन वर्ष तक के कारावास को बढ़ाकर सात वर्ष के कारावास की सिफारिश की है। इसका अर्थ हुआ कि राजद्रोह के लिए न्यूनतम सजा को तीन वर्ष से बढ़ा कर सात वर्ष किया जाए।

विधि आयोग ने ''हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था (पब्लिक डिसआर्डर) पैदा करने की ''टेन्डेन्सी'' (रूझान) को राजद्रोह की परिभाषा में शामिल करने की सिफारिश की है। साथ ही यह सिफारिश भी की है कि वास्तविक हिंसा या हिंसा को आसन्न खतरे के सबूत के बजाय'' हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था (पब्लिक डिसआर्डर) पैदा करने की ''टेन्डेन्सी'' मात्र को ही राजद्रोह समझा जाना चाहिए।

विधि आयोग ने ''टेन्डेन्सी'' , की परिभाषा एक ''स्लाइट इन्क्लिनेशन'' (हल्का सा झुकाव) के तौर पर की है।

यह समझना मुश्किल नहीं है कि सरकार के किसी भी विरोध, उसकी किसी भी नीति की आलोचना को हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था (पब्लिक डिसआर्डर) पैदा करने के ''रूझान'' या ''हल्के से झुकाव'' का नाम दिया जा सकता है, और पुलिस का कोई कर्मचारी राजद्रोह के आरोप में संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। सरकार, उसकी नीतियों एवं कामों की आलोचना या उनके विरोध के किसी भी आह्वान का अर्थ ''हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था (पब्लिक डिसआर्डर) पैदा करने'' के तौर पर निकाला जा सकता है।

यह समझना कठिन नहीं है कि यदि इस तरह के ''रूझान'' मात्र को ही राजद्रोह में शामिल कर लिया गया तो यदि कोई ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता मजदूरों की किसी सभा में उनका आह्वान करता है कि अपने हकों के लिए संघर्ष करें और उठ खड़े हों, तो उसे ''राजद्रोह'' माना जा सकता है। यदि कोई अपने किसी लेख में देश में बेरोजगार नौजवानों को आज के हालात के खिलाफ और मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान करे तो उसे ''राजद्रोह'' के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ लोगों को सचेत एवं जागरूक करने वाले किसी भी वक्तव्य या लेख को ''हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था (पब्लिक डिसआर्डर) पैदा करने के रूझान'' की संज्ञा दी जा सकती है।

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 2021 में उनके दीक्षांत समारोह के समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आईपीएस अफसरों को संबोधित करते हुए जो कुछ कहा था उसे उद्धृत किया कि ''उन्हें सिविल सोसायटी के साथ ''फोर्थ जेनरेशन वॉरफेयर''(चौथी पीढ़ी के युद्ध का हथियार) के तौर पर सलूक करना चाहिए जिसे देश के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए निष्ठाहीन बनाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है और चालाकी से प्रभावित (मैनिपुलेट) किया जा सकता है''।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इस कथन में निहित था कि सिविल सोसायटी के साथ कठोर बर्ताव किया जाना चाहिए, उनका दमन किया जाना चाहिए। उनके इस कथन का उद्धरण देकर विधि आयोग ने भी यही कहने की कोशिश की है और इसमें निहित है कि सिविल सोसायटी के दमन के लिए ''राजद्रोह'' जैसे कठोर कानून की आवश्यकता है।

विधि आयोग ने वाक्–स्वतंत्रता पर एक वाजिब प्रतिबंध के तौर पर और भारत की आन्तरिक सुरक्षा को खतरे को देखते हुए राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की सिफारिश की है। जिन चीजों से भारत की आन्तरिक सुरक्षा को खतरा है उनमें माओवादी उग्रवाद, मिलिटैंसी, अलगावादी आंदोलनों और पूर्वोत्तर राज्यों में नृवंशीय टकराव (एथनिक कॉन्फ्लिक्टस) का जिक्र किया गया है।

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह कोई अकेला कानून नहीं है जिसका दुरूपयोग किया जाता है, ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कानूनों का दुरूपयोग किया जाता है, अनेक बार व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के कारण भी कानूनों का दुरूपयोग किया जाता है। अतः किसी कानून को इसलिए निरस्त नहीं किया जाना चाहिए कि उसका दुरूपयोग किया जाता है।

मई 2022 में राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने प्रथम दृष्टतया राय जाहिर की थी कि यह कानून औपनिवेशिक जमाने की विरासत है अतः इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए। समझा जा सकता है कि अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की इस राय को अस्वीकार करते हुए सरकार विधि आयोग की इस सिफारिश को एक मजबूत कानूनी तर्क के रूप में पेश कर जोर देगी कि राजद्रोह कानून को निरस्त न किया जाए।

अर्थव्यवस्था का हाल

जिस समय डंके पीटे जा रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और 2022–23 सकल घरेलू उत्पाद में 7.2 प्रतिशत वृद्धि के दावे किए जा रहे हैं, आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि की रफ्तार अप्रैल 2023 में सुस्त पड़कर 3.5 प्रतिशत रह गई। मार्च 2023 में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत थी। अप्रैल 2023 में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि की रफ्तार अक्टूबर 2022 के बाद सबसे सुस्त रही।

भारी उद्योगों के अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में लगातार निराशा का वातावरण है। सरकार द्वारा फरवरी 2023 में राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिए गए आंकड़े के अनुसार, वित्तवर्ष 2019–20 से लेकर वित्त वर्ष 2022–23 तक 17,452 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र ईकाइयां बंद हो गई। सबसे अधिक 10,655 इंकाइयां अकेले 2022–23 में बंद हुई। इससे पहले, अक्टूबर–दिसंबर 2022 तिमाही में यह 4.5 प्रतिशत और जुलाई–सितंबर 2022 में 6. 2 प्रतिशत थी जिसका अर्थ है कि बुनियादी उद्योगों की वृद्धि की रफ्तार में लगातार सुस्ती चल रही है।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान मासिक औसत बेरोजगारी दर 7.6 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रही। अप्रैल 2023 में बेरोजगारी दर 8.1 प्रतिशत थी। अब से पहले किसी भी सरकार के दौरान देश में इतनी अधिक बेरोजगारी नहीं रहीं।

आंकड़ों की बाजीगरी का क्या कमाल है कि अर्थव्यवस्था में 30 प्रतिशत और रोजगार में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की ईकाइयों पर

ताले लग रहे हैं, बुनियादी उद्योगों में लगातार सुस्ती चल रही है, देश में बेरोजगारी आज तक के सर्वोच्च स्तर पर है, कृषि क्षेत्र लगातार संकट का शिकार है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र मांग न होने से अपनी मौजूदा क्षमता का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, नयी क्षमता जोड़ना तो दूर की बात रही, परंतु आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है!

उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना

2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जिले में बाहानगा बाजार स्टेशन पर भीषण रेल दुर्घटना में कम से कम 288 यात्री मारे गए और 900 से अधिक यात्री जख्मी हो गए जिनमें से अनेक की हालत गंभीर है। रिपोर्टों के अनुसार, हावड़ा जा रही 12864 बंगलुरू–हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बाहानगा बाजार स्टेशन पर पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे12841 शालीमार चैन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। कोरोमंडल के डिब्बे भी पलट गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। दुर्घटना शाम को करीब 7 बजे हावड़ा से करीब 255 किलोमीटर दूर बाहानगा बाजार स्टेशन पर हुई। यह भारत में इस सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है।

मोदी सरकार अब कितने भी दांव खेलती रही, दुर्घटना के कारणों के संबंध में कितना भी भटकाने की कोशिश करती रही, इस दुर्घटना ने चीख–चीखकर दुनिया को यह बता दिया है कि इस सरकार ने भारत की रेलवे को बर्बाद कर दिया है।

भारतीय रेलवे के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, कोफ्मो (ऑर्गेनाईजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स, भारतीय रेलवे) के महाप्रबंधक रहे सरबजीत अर्जन सिंह का कहना है:

''अनेक विशेषज्ञों ने कहा है कि उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना ने रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परंतु सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रेलवे के सामान्य कामकाज से अलग कर देखा जाए। यह सामान्य कामकाज का सह–उत्पाद है और इस प्रकार यह रेलवे सिस्टम की कुल मिलाकर कार्यकुशलता की एक खिड़की के तौर पर काम करती है।

''कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना स्पष्ट तौर से इस बात को सामने लाती है कि रेलवे में गाड़ियों की संख्या उस स्तर पर पहुंच गई है कि मैदान में काम करने वाला स्टाफ काम का बोझ होने और जरूरी सामान आदि न होने के कारण स्टैंडर्ड तरीके की कीमत पर खर्च एवं समय बचाने के लिए शॉर्टकट तरीके अपनाए बिना रेल पटरी, सिग्नलिंग, यात्री डिब्बों–माल डिब्बों–इंजनों एवं अन्य उपकरणों की मरम्मत एवं रख–रखाव के काम को करने में विफल है। दुर्घटना स्थल से आई रिपोर्टों के अनुसार, पैनल इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाईन पर जाने के बजाय लूप लाईन में चली गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। पटरी से उतरे कुछ कोच मेनलाईन पर जा गिरे और तेजी से आ रही यशवंतपुर–हावड़ा एक्सप्रेस उनसे जा टकराई।

''कानूनी तौर पर की जाने वाली जांच दुर्घटना से असली कारण का पता चलेगा।.....

''सिद्धांततः पैनल इंटरलॉकिंग ''फेल सेफ'' है (अर्थात यह गलती नहीं कर सकता और जो ट्रैक सेट किया गया है उसी पर जाने के लिए ही किसी ट्रेन को सिग्नल मिल सकता है)। परंतु ट्रैक सेटिंग और सिग्नलिंग में मिसमैच

कोई अनजानी बात नहीं। ऐसा अपरिहार्यतः उस समय होता है जब ईएसएम (इलेक्ट्रोनिक सिग्नल मेन्टेनर) थका–हारा और परेशान होता है क्योंकि रेलवे में वह उतनी संख्या में नहीं हैं जितने होने चाहिएं और ऐसे में ट्रेनों को रोके बगैर मरम्मत एवं रख–रखाव का काम करने के लिए स्टेशन मास्टर और ईएसएम के बीच एक अनौपचारिक समझ बन जाती है क्योंकि रेलवे का सेंट्रल कंट्रोल ट्रेनों को रोकने के लिए ब्लॉक देने से हिचकता है।.....

''हर काम के लिए एक एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) होता है परंतु जब एसओपी के अनुसार काम नहीं किया जाता तो उससे किसी व्यक्ति के बजाय रेलवे के सिस्टम में खामी होने का पता चलता है। गलतियां ऐसी खिड़की होती हैं जिनसे पता चलता है कि सिस्टम असल में किस तरह चल रहा है। फील्ड लेवल पर अनेक कारक काम करते हैं। अफसरों समेत मरम्मत एवं रख–रखाव करने वाले स्टाफ पर अनेकानेक दबाव हैं, खास तौर पर उपलब्ध समय के अंदर और जो कुछ सामान उपलब्ध है उसी के साथ मरम्मत एवं रख–रखाव करना और ट्रेनों की पंकचुएल्टी (सही समय पर चलाने) को सुनिश्चित करने का उन पर दबाव रहता है।

''रेलवे संगठन के स्तर पर वर्तमान हालात दो लक्ष्यों पर काम करने का नतीजा हैं। पहला लक्ष्य है, सेक्शन के सेचुरेट होने (अर्थात किन्हीं स्टेशनों के बीच जितनी भी अधिकतम गाड़ियां चलाई जा सकती हैं, उतनी गाड़ियां चलाई जा रही हैं और अब और गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती) के बावजूद वहां पर और अधिक ट्रेनों को चलाना। दूसरा लक्ष्य है ट्रेनों की स्पीड और पंकचुएल्टी पर फोकस करना।

''वर्तमान गाड़ियों को चलाने के लिए ही क्षमता कम है। ऐसे में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सुरक्षा को सुनिश्चित करने का लक्ष्य मुश्किल हो जाता है। .....रेल पटरी, सिग्नलिंग, यात्री डिब्बों–माल डिब्बों–इंजनों की मरम्मत और रख–रखाव में कोई शार्टकट नहीं अपनाया जाना चाहिए।... ....रेलवे को और मंत्रालय को यह मानना पड़ेगा कि इनकी मरम्मत और रख–रखाव के लिए समय देना जरूरी है भले ही इससे गाड़ियां देरी से चलें।. .....सुपरवाइजरी स्टाफ (जिन्हें विभिन्न विभागों के सेक्शन इंजीनियरों के नाम से जाना जाता है), जो रेल पटरी, सिग्नलिंग, यात्री डिब्बों–मालडिब्बों–इंजनों आदि को सर्टिफिकेट देता है कि उनमें कोई खराबी नहीं है और ट्रेन चलाना सुरक्षित है, उनकी राय को माना जाना चाहिए और पंकचुएल्टी और स्पीड की खातिर उनकी राय से परे जाकर गाड़ियां नहीं चलाई जानी चाहिएं।'' (संदर्भः द टाईम्स ऑफ इंडिया (5 जून2023) में उनका लेखः व्हाट द ट्रेन ट्रैजेडी इज टैलिंग अस)

कौन नहीं जानता कि रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं। रेलवे में कम से कम तीन लाख पद खाली हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है और रेलवे स्टाफ की संख्या कम हो गई है। इसका नतीजा की जरूरत होती है, अपना खर्च कम करने के लिए वह उससे भी कम संख्या में कर्मचारियों को काम पर लगाते हैं और ये कर्मचारी इन कामों के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित भी नहीं होते।

रेलवे में उपकरणों की मरम्मत–रखरखाव एवं संचालन के काम को संभालने वाले नियमित एवं स्थायी स्टाफ के पास पर्याप्त प्रशिक्षण और अनुभव होता है। काम पर नियमित एवं स्थायी होने और इन कामों को करते रहने के कारण उनमें एक विशेष निष्ठा, समर्पण एवं कर्तव्यपरायणता होती है जिसकी ठेकेदार/निजी कंपनियों के ठेके पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों से अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि उनकी नौकरी अस्थायी होती है; उन्हें पता नहीं होता कि कल वे काम पर रहेंगे या नहीं; उनका वेतन स्थायी कर्मचारियों के मुकाबले बहुत कम होता है। इस कारण उनकी मानसिकता में खिन्नता एवं निराशा का एक स्थायी एवं प्रच्छन्न भाव घर कर जाता है जिसके कारण काम के प्रति समर्पण की भावना कमजोर होती है। इसका रेलवे के संचालन पर और उसकी सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

अभी कहा जा रहा है कि सिग्नल तो मेनलाइन के लिए दिया गया था परंतु पटरी लूप लाइन के लिए सेट हो गई। इंटरलॉकिंग सिस्टम में ऐसा होना संभव ही नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो इसका अर्थ है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम ही सही नहीं था। ऐसे में आशंका होती है कि जिस पर इस सिस्टम की मरम्मत एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी थी वह उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा था। क्या इन्टरलॉकिंग सिस्टम के रखरखाव और मरम्मत का काम किसी निजी कंपनी या ठेकेदार के हवाले था?

रेलवे दुर्घटना में रेल पटरी, सिग्नलिंग या फिर डिब्बों–इंजनों में खराबी आना मुख्य कारक होते हैं। इस दुर्घटना में भी इन्हीं में से कोई कारक जिम्मेदार है। अतः सर्वप्रथम इस बात का खुलासा होना चाहिए कि इन कामों को रेलवे का स्थायी एवं नियमित स्टाफ कर रहा था या यह काम किसी निजी कंपनी या ठेकेदार के हवाले था। आशंका होती है कि जिस सेक्शन पर दुर्घटना हुई है कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां रेल पटरी, सिग्नलिंग, यात्री डिब्बों–माल डिब्बों–इंजनों एवं रेलवे संचालन से जुड़े अन्य उपकरणों की मरम्मत और रख–रखाव का काम कोई ठेकेदार/निजी कंपनी कर रही हो। यदि ऐसा है तो संभावना प्रबल हो जाती है कि रेलवे के विभिन्न कार्यों के निजीकरण की नीति इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है।

रेलवे दुर्घटना की जांच की जिम्मेदारी रेलवे सुरक्षा आयुक्त की है। इस काम को सीबीआई के हवाले किए जाने पर कई शक पैदा होते हैं। क्या मोदी सरकार दुर्घटना के असली कारण को छुपाने की दिशा में काम कर रही है?

मोदी सरकार अब से पहले कम से कम दो मामलों में रेलवे दुर्घटना की जांच के काम रेलवे सुरक्षा आयुक्त से कराने के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआईए) के हवाले कर चुकी है और उस जांच का क्या नतीजा निकला आज तक जगजाहिर नहीं है। एनआईए को जांच दिए जाने से सरकार को यह कहने का मौका जरूर मिल गया था कि दुर्घटना के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है किन्हीं राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा दुर्घटना को अंजाम दिया गया था। इशारा कतिपय स्थानीय मुस्लिम व्यक्तियों/संगठनों/पाकिस्तान की तरफ था। इस प्रकार मोदी सरकार ने रेलवे के कामकाज में की जा रही कोताहियों और अपनी विफलता से लोगों का ध्यान भटका दिया था। इस मामले में भी सीबीआई को दुर्घटना की जांच का काम सौंपने के पीछे यही मकसद नजर आता है।

अब दो चेहरों का देश

विजय दलाल

अदालतों के बारे में–सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचुड़ की नियुक्ति के बाद पिछले दिनों कालेजियम व्यवस्था के खिलाफ उन मोदी सरकार के मंत्री रिजीजू और भी कई सरकार समर्थक कोनों से हमले हुए और प्रतिकार और वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में भी मुख्य न्यायाधीश व कई पूर्व न्यायाधीशों की दलीलें आयी।

इन सब के बीच यह खुलकर सामने आ गया कि सरकार नियुक्तियों और प्रमोशन में हस्तक्षेप क्यों करना चाहती है।

सरकार को उसके पक्ष के न्यायाधीश चाहिए ताकि सरकार जिसको चाहे उसको दोषी ठहरवा दे और चाहे कितना भी संगीन अपराध किया हो उसको दोषमुक्त करवा दें। उसको मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर भी सरकार की हां में हां मिलाने वाला चाहिए या बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उसके परिवार के लोगों की नृशंस हत्या करने वाले आरोपियों को भी जेल से बाहर कर दे। मोदी या सावरकर सरनेम जैसे शब्द का कोई उपयोग कर ले तो मानहानि का दावा भी लगने दें और दो साल की जेल की सजा देने के राजनीतिक षड़यंत्र में शामिल हो जाए। उनको ऐसे न्यायाधीश चाहिए कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की शंकास्पद डिग्रियों की जांच की मांग करे तो उस पर जुर्माना ठोक दे। जो जांच कानून की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है। कानून की नजर में प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति वो भारत का नागरिक है। देश के कानून संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है। प्रथम दृष्टया सारे तथ्य इस बात के संदेह की पुष्टि करते हैं कि वो नकली हो सकते हैं और यह साबित हो जाए तो मोदी जी की संसद सदस्यता भी जाएगी और प्रधानमंत्री पद भी। जनता को यदि शक है तो उसे जानने का संवैधानिक अधिकार है और ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। ये कोई राजशाही तो है नहीं कि राजा सर्वाधिकार संपन्न है। ये आधुनिक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। जनता के वोट से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं और जनता के पैसे से ही वो न्यायाधीश बनकर बैठे हैं। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है।

फिर न्यायाधीश डिग्री की जांच वाली याचिका को स्वीकार न करें यहां तक तो बात छोड़िए याचिका लगाने वाले पर 40 हजार रुपए का फाइन लगाकर धमकी दे।

किस कानून के हवाले से उन्होंने ये काम किया। असल में कालेजियम व्यवस्था इसलिए इस सरकार की आंख की किरकिरी है। सरकार को ऐसे न्यायाधीश चाहिए जो उसके इशारे पर नाच दिखाएं।

सूरत की कोर्ट द्वारा राहुल गांधी पर मानहानि का दावा और उस पर दो साल की जेल सजा । हर दृष्टि से निराधार। भाषण में जिसके लिए वो शब्द इस्तेमाल वो शिकायतकर्ता नहीं उनकी मानहानि नहीं कोई तीसरा ही उठकर आ जाए और वो कहे मेरी मानहानि। न्याय व्यवस्था का मजाक है। अब पुलिस और कुछ न्यायाधीशों का व्यवहार तो ऐसा हो गया है कि अब तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक स्थायी पीठ हो जो इस तरह के फैसले लेनें वाले और पुलिस द्वारा अकारण फंसाए लोगों पर मुकदमें और सजा की भी व्यवस्था हो। ताकि पुलिस और न्याय व्यवस्था सत्ता के राजनीतिक दबाव या अंधसमर्थन में ऐसे काम न करें।

मैंने अभी एक समाचार पत्र में पत्रकार तवलीन सिंह का राहुल गांधी के लिए इस शीर्षक से 'माफी मांगने में ही भलाई है' लेख पढ़ा। संदर्भ राहुल के माफी नहीं मांगने वाले बयान में सावरकर के जिक्र को लेकर है। उनकी सलाह यदि ईमानदारी से बगैर सावरकर की प्रशंसा में कसीदे पढ़े और भाषण में शब्दों के चयन हेतु ख्याल रखने तक होती तो स्वीकार्य होती मगर उनकी सलाह एक तो पप्पू साबित करने वाली परंपरा का निर्वाह और दूसरा सूरत न्यायालय के फैसले को उचित ठहराया जाना भी है।

किसी भी विषय पर राजनीतिक और वैचारिक मतभेद बहुत ही स्वाभाविक है। मोदी या सावरकर की तरह देश और दुनिया में किसी भी राजनेता के पक्षधर या विरोधी रहे हैं। ये तो राजतंत्र थे तब भी थे और आधुनिक गणतंत्र है तब भी है। गांधी और नेहरू को चाहने वाले कितने ही हो उनके भी कितने ही विरोधी भी थे और आज भी हैं। गोड़से समर्थक तो इस सरकार में उनकी मुर्तियां तक लगवा रहे हैं। इतने वर्षो में ऐसा तो कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता कि किसी भी गांधी और नेहरू सरनेम वाले को मानहानि का दावा लगाते नहीं देखा गया।

आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखने को मिला। हां यह कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था और चौथे खंभे का बहुमत हिस्सा जनहित में अपनी सही और तटस्थता की भूमिका निभा रहा था। कार्यपालिका भी काफी हद तक स्वायत्त और न्याय प्रिय थी।

मैं मोदी भक्त पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगने के लिए सावरकर का जिक्र किया तो इसमें किसी अन्य सावरकर की मानहानि कैसे हो गई। क्या इतिहास में इस बात के प्रमाण सर्वविदित नहीं है कि सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से नहीं छूटे और इस शर्त पर कि भविष्य में भी वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे इसके लिए वो पेंशन भी पाते रहे।

उनके पक्षधर यह मान सकते हैं कि उन्हें बहुत कड़ी सजा दी गई थी इसलिए उन्होंने माफी मांगी।

लेकिन ज्यादातर मुल्क का बहुमत हिस्सा यह मानता है कि वो उन क्रांतिकारियों के बराबर तो नहीं थे 1857 से लेकर 1947 तक उनकी संख्या सैंकड़ों नहीं हजारों में है, जिन्होंने अंग्रेजों के हाथों सजाएं और मरना स्वीकार किया मगर माफी नहीं मांगी।

इसलिए किसी की नजर में सावरकर वीर हो सकते हैं किसी की नजर में नहीं।

पत्रकार महोदया ने लिखा कि मैंने सावरकर पर बहुत किताबें पढ़ी लेकिन लगता है सावरकर की सबसे विवादास्पद लिखी किताब 'टू नेशन्स' नहीं पढ़ी जिसने द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी जिसने मुस्लिम लीग और जिन्ना की मांग को वैचारिक दृष्टि से उचित ठहराया और चालाक फिरंगियों को मौका दिया। जिसके कारण देश विभाजन के लिए सावरकर को भी जिन्ना के साथ बराबर का जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। दोनों पक्षों के कट्टरपंथी लोगों के कारण ही अंग्रेज अपने मंसूबों में कामयाब हुए। ऐसे मानने वाले देश में बहुमत में हैं।

तो राहुल गांधी के सही बात को जिक्र करने से किसी सावरकर की मानहानि कैसे हो गई?

इन दिनों इस सरकार के गले में अडानी और प्रधानमंत्री की डिग्री की गंडेरी फंसी हुई है और ऊपर से अपने ही शागिर्द से पुलवामा का हमला अलग हो गया।

इसलिए वहीं हमेशा का आजमाया फार्मूला क्योंकि मीडिया पुरी तरह से खरीद रखा है इसलिए वो वहीं खबरें छापता है या टीवी चैनलों पर चलती है जो सरकार चाहती है इसलिए विपक्ष पर हमले और सबसे सफल हिंदू–मुसलमान।

इसलिए अतीक अहमद और उनके भाई को रास्ते में ही गोली से उड़वा दिया। जयश्री राम के नारे लगवा कर सरेंडर करवा दिया और उनको सुरक्षा प्रदान कर दी। फिर सोशल मीडिया पर वो वीडियो चलवा दिया जिसमें योगी जी हुंकार भर रहे हैं अपराधी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब देश में यही कानून है न्याय व्यवस्था की अब कोई जरूरत नहीं है। निश्चित ही यह संपूर्ण घटनाक्रम सरकार प्रायोजित ही लगता है।

यह बात प्रमाणित है कि विपक्षी दल का कोई भी मुस्लिम नेता या माफिया बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू या अन्य सम्पन्न जातियों के समान आर्थिक अनियमितताएं करके धन एकत्रित नहीं कर सकता।

इसलिए एनसीपी, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस जैसी पार्टियों की भी मुसीबत कर दी अपनी पार्टी में भी नेतृत्व के लिए किसी मुस्लिम को आगे लेकर नही आए।

हां, वामपंथी पार्टियां इन सब की अपवाद हैं।

जो दूसरा वीडियो जो कई ग्रुप्स पर देखा गया वह था अतीक अहमद जैसे माफिया के पैदा होने और पलने के लिए लचर कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

जबकि ऐसे माफियाओं के बनने और पलने का असल कारण धनबल और बाहुबल पर केंद्रित राजनीतिक व्यवस्था है।

ऐसी पुलिस और न्यायव्यवस्था तो उसका बाईप्राडक्ट है।

न्याय व्यवस्था निष्पक्ष भी हो तो यदि पुलिस और जांच एजेंसियां न्यायालय में केस को इतना कमजोर पेश करें तो अच्छे से अच्छा न्यायाधीश भी क्या कर लेगा। अभी ताजा उदाहरण है गुजरात के दंगों के समय का नरोदा के दंगों के अभियुक्त इसी प्रकार से अदालत में दोष मुक्त हुए।

धनबल और बाहुबल पर केंद्रित राजनीतिक व्यवस्था सरकार के बचें दोनों अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और फोर्थ स्टेट सबको पंगु कर देती है और कठपुतली बना देती है।

अतीक अहमद जैसे माफिया इस राजनीतिक व्यवस्था की उपज हैं।

इसी व्यवस्था ने अतीक अहमद को निर्दलीय से लेकर कई दलों का पांच बार विधायक बनाया और एक बार सांसद। अपने रौब और ओहदे से उस दौरान उसने अकूत संपत्ति जमा की। बीजेपी ने भैरों सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति चुनाव में उससे समर्थन में वोट भी लिया। 1990 की बात है जब विभूति नारायण राय इलाहाबाद के पुलिस महानिरीक्षक थे। एक सब इंस्पेक्टर पर दादागिरी झाड़ने के आरोप में उसे गिरफ्तार करने पुलिस दल को भेजकर घर घेर लिया। अभी जो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के प्रकरण में हो रहा है उसी तरह राय साहब के पास रातभर इतने सियासी संस्थानों के दबाव आते रहे कि आखिर सुबह पुलिस बल को वापस बुलाना पड़ा। समय रहते यदि कार्यवाही हो जाती तो आज अतीक अपराधी अतीक नहीं होता।

हिंदू–मुस्लिम, न्याय व्यवस्था और मीडिया के पास कई सनसनीखेज खबरें हैं।

उस व्यवस्था के विरोध में एक शब्द नहीं है जिसने अतीक अहमद जैसे माफिया को पैदा किया और पाला।

हमें हरिशंकर परसाई जी का व्यंग्य 'ठिठूरता हुआ गणतंत्र' इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तब भी याद आया था लेकिन आज के देश के हालातों को देख कर लगता है वो तो कंपकंपाने वाली ठंडी हवा का झोंका भर था। गणतंत्र तो असल में अब ठिठूर रहा है।

विधानसभा चुनाव : भाकपा–माकपा के साझा अभियान का निर्णय

भोपाल, 6 जून 2023: मध्य प्रदेश विधान सभा के आगामी चुनाव हेतु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा साझा अभियान शुरू कर चुनाव में भाजपा को पराजित कर विधान सभा में वामपंथ का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की तैयारी की जायेगी।

यह निर्णय भोपाल में भाकपा के राज्य कार्यालय शाकिर सदन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की संयुक्त बैठक में लिया गया। इस बैठक में भाकपा के राज्य सचिव अरविन्द श्रीवास्तव, माकपा के राज्य सचिव जसविंदर सिंह, माकपा नेता बादल सरोज, भाकपा नेता शैलेन्द्र शैली और विजेन्द्र सोनी शामिल हुए।

इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद जारी एक संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में भाकपा और माकपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी। भाकपा और माकपा द्वारा संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार किया जाएगा। इस विधान सभा चुनाव में भाजपा को पराजित कर विधान सभा में वामपंथ का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु समान विचारों के वामपंथी, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक संगठनों के साथ मिलकर साझा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सांप्रदायिक, प्रतिगामी, पूंजीवादी, जन विरोधी ताकतों के खिलाफ जन शिक्षण कर समाजवाद, भारत के संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में जनता को लामबंद किया जाएगा। इस अभियान की तैयारी हेतु भोपाल में आगामी 15 जुलाई को समान विचारों के संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई है ।

इप्टा: मेहनतकश जनता का सांस्कृतिक संगठन

राम नरसिम्हा राव

इप्टा स्थापना के 80वें वर्ष और मदल रंगा राव जन–कलाकार, क्रांतिकारी, फिल्म निर्माता, निदेशक की 75वीं जन्म जयंती पर 22 जून को सुन्दरैया विज्ञान केंद्र में एक सभा आयोजित की गई इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य डॉ. के. नारायणा और राज्य सभा सांसद, लोकप्रिय तेलुगू सिनेमा अभिनेता और फिल्म निर्माता मुरली मोहन ने कहा कि ''इप्टा ने भारतीय जनता को देश की आजादी के लिए और युद्ध के विरूद्ध जागृत किया। इस सभा की अध्यक्षता लोकप्रिय सिनेमा अभिनेता मदल रवि ने की।

बैठक से पूर्व इप्टा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कंडीमल्ला प्रताप रेड्डी ने इप्टा झंडात्तोलन किया। राष्ट्रीय सदस्य अजीज पाशा, भाकपा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य चंदा वेंकटेश रेड्डी, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश भाकपा राज्य सचिव कुनामेनी संबाशिव राव और के. रामकृष्णा, भाकपा (मा) के विमलकांत, एमसीपीआई (यू) के राज्य सचिव जी. रवि, भाकपा माले (लिबरेशन) के राज्य नेता राजेश, राष्ट्रीय इप्टा संरक्षक सदस्य नकुरु वेंकटेश्वरालु, तेलुगू विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डॉ. एस.वी. सत्यनारायणा, प्रख्यात फिल्म गीतकार सुद्दाला अशोक तेजा, प्रमुख फिल्म निर्माता पोकुरी बाबु राव, लोकप्रिय संगीत निर्देशक वंदेमातरम श्रीनिवास, प्रमुख फिल्म निर्देशक मद्दीनेनी रमेश बाबजी, जन सांस्कृतिक केंद्र के सभापति भूपति वेंकटश्वरालु, इप्टा राज्य सचिव पल्ले नरसिम्हा, तेलंगाना प्रजा नाट्यमंडली के राज्य सचिव कट्टा नरसिम्हा एवं अन्य ने सभा को संबोधित किया।

भाकपा राष्ट्रीय सचिवमंडल सदस्य डॉ. के. नारायणा ने अपने संबोधन में आगे कहा कि मदल रंगा राव ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रखा। वे छात्र आंदोलन में काफी सक्रिय थे। उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श रूप में जिया। उन्होंने फिल्म सेंसरशिप के खिलाफ लड़ाई की। मदल रंगा का मानना था कि कला शैलियों को जनता और बेहतर समाज के लिए होना चाहिए। उन्होंने आजीवन कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए काम किया। उन्होंने जनता की चेतना को बढ़ाने वाली फिल्में बनाई। जहां कहीं भी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते, वे वहां चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते थे। उनके जीवन की आकांक्षा थी कि सभी वाम पार्टियां और समूहों के बीच एकता हो। नारायणा ने याद दिलाया कि तमिलनाडु में वे सभी वामदलों को एक मंच पर लेकर आए थे। सिनेमा क्षेत्र में मूल्यों के पतन पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। नारायणा ने कटाक्ष के भाव के साथ कहा कि सबसे बड़े अभिनेता मोदी हैं। ''मन की बात'' की 100 कड़ियों में मोदी ने कभी किसी सत्य को प्रकट नहीं किया।

पूर्व राज्य सभा सांसद मुरली मोहन ने मदल रंगा राव के साथ अपने संबंधों को साझा करते हुए कहा कि ''हम एक ही बैच में थे, मदल रंगा राव मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मैं शरत बाबू, गिरि बाबू और मोहन बाबू सिनेमा की दुनिया में 1973 में आए।

मदल रंगा राव ने कभी अपनी नीतियों से समझौता नहीं किया। हालांकि मैंने उनको व्यवसायिक फिल्में बनाने का सुझाव दिया। लेकिन वे कहते थे कि मैं समाज के लिए फिल्में बनाऊंगा और जनता की चेतना बढ़ाने के लिए फिल्में बनाऊंगा। मैं जनता के लिए और अपनी विचारधारा के लिए फिल्में बनाऊंगा। वे कहते थे कि पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है।

मुरली मोहन ने उनके साथ फिल्म का एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि मदल रंगा राव ने उन्हें अपनी पहली फिल्म ''युव धर्म कदिलिंधि'' में अभिनय का मौका दिया था, जब उन्होंने मुझसे इस फिल्म में अभिनय करने को कहा तो उस समय में अन्य फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त था और मेरे पास उनकी उस फिल्म के लिए अभिनय करने का समय नहीं था। तब उन्होंने कहा कि कम से कम एक दिन का समय निकालें। तब मैंने एक दिन सुबह पांच बजे से लेकर आधी रात 12 बजे तक 14 सीनों के लिए अभिनय किया। हालांकि मैं राजनीतिक रूप से कांग्रेस परिवार से हूं लेकिन उन्होंने अपनी एक फिल्म ''येर्रा मल्लेलु (लाल चमेली) में मई दिवस गीत पर लाल झंडा उठाकर अभिनय करने को कहा।

भाकपा केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य चंदा वेंकटेश रेड्डी ने अपने संबोधन में कहा कि मदल रंगा राव ने आजीवन अपनी फिल्मों के माध्यम से अथक रूप से समाज में बदलाव के लिए काम किया। उन्होंने आजीवन मेहनतकश जनता का समर्थन किया।

भाकपा तेलंगाना राज्य सचिव कुनामेनी संबाशिव राव ने अपने संबोधन में कहा कि मदल रंगा राव की लोकप्रियता युवा पीढ़ी में एन.टी. रामाराव के जैसी थी। कई मजदूर, डॉक्टरों, वकीलों और कई बुद्धिजीवियों ने उनसे मदल रंगा राव से मिलवाने का अनुरोध किया था। वे बिना विग और बिना मेकअप के अभिनय करते थे। वे स्वाभाविक अभिनेता थे। उन्होंने लोगों को जागृत करने वाली कई फिल्में निर्मित की।

भाकपा आंध्रप्रदेश राज्य सचिव के रामाकृष्णा ने अपने संबोधन में कहा कि वे लोकप्रिय अभिनेता थे। उन्होंने गुंटाकुल स्पीनिंग मिल के मजदूरों के समर्थन में 14 दिन की भूख हड़ताल में भागीदारी की।

भाकपा (मा) के पूर्व एमएलसी सदस्य और राज्य सचिवमंडल सदस्य चेरापल्ली सीताकरामुलु ने अपने संबोधन में बताया कि तेलुगू राज्य के ज्यादातर गांवों में लोग भारी संख्या में ''विप्लव शंखम'' फिल्म देखने जाते थे।

मदल रंगा राव के पुत्र मदल रवि ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पैसा कमाने के लिए फिल्में नहीं बनाई थी लेकिन उन्होंने जनता की चेतना बढ़ाने और सामाजिक बदलाव के लिए फिल्में बनाई थीं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि कई निर्माताओं ने समाजवादी विचारधारा और समानता आदि के लिए फिल्में बनाई लेकिन मदल रंगा राव की फिल्मों में अभिनेता लाल झण्डा ले कर चलता है। उन्होंने यह भी बताया कि मदल रंगा राव की आजीवन आकांक्षा सभी कम्युनिस्ट पार्टियों और समूहों की एकता की रही। मदल रवि ने विश्वास दिलाया कि वे मदल रंगा राव के नक्शे–कदमों पर चलेंगे।

सभा के समापन पर सभी अतिथियों को दुशाला और स्मृति चिन्ह दिए गए।

कृश्न चंदर के रिपोर्ताज 'पौदे' का सात दशक बाद हिंदी में लिप्यंतरण

ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन में हुआ किताब का विमोचन

रांची। बीते 7 और 8 मई झारखंड की राजधानी रांची में जनवादी लेखक संघ ने दो दिवसीय 'ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन' आयोजित किया। जिसमें मुल्क भर के हिंदी और उर्दू जबान के बड़े अदीब, नक्काद और दानिश्वर मौजूद रहे। कन्वेंशन का अहम मौजू 'हिंदी और उर्दू के तखलीकी रिश्तेः माजी और हाल' था। इस अहमतरीन कन्वेंशन में न सिर्फ उर्दू जबान की तरक्की, उर्दू की मौजूदा सूरत–ए–हाल और उसे फरोग देने के लिए नई तजवीजों पर संजीदा बातचीत हुई, बल्कि इस खूबसूरत जबान की बेहतरी के हक में कई अहम प्रस्ताव भी पेश किए गए। दो दिन में कुल आठ सेशन हुए। जिसमें कई दिलचस्प सब्जेक्ट पर विचारोत्तेजक बातचीत हुई। कन्वेंशन के उद्घाटन सेशन में उर्दू के अजीम अफसाना निगार कृश्न चंदर के रिपोर्ताज 'पौदे' का भी विमोचन हुआ। यह किताब साल 1947 में उर्दू जबान में शाए हुई थी। जिसे मकतबा सुल्तानिया, मुंबई ने प्रकाशित किया था। सात दशक बाद 'पौदे' का हिंदी लिप्यंतरण आया है। किताब विमोचन के वक्त मंच पर अंजुमन तरक्की उर्दू (हिंद) के जनरल सेक्रेटरी डॉ. अतहर फारूकी, जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष समालोचक चंचल चौहान, जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष समालोचक डॉ. रविभूषण, जलेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. संजीव कुमार, डॉ. अली इमाम खान, साहित्य अकादमी कार्यकारिणी के सदस्य प्रसिद्ध साहित्यकार और रंगकर्मी महादेव टोप्पो और 'ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन' के संयोजक एम. जेड. खान मौजूद थे। जिनके हाथों से किताब का रस्म ए इजरा अमल में आया। शायर इशरत ग्वालियरी की मदद से लेखक पत्रकार जाहिद खान ने 'पौदे' का लिप्यंतरण किया है।

कृश्न चंदर की किताब 'पौदे', अक्टूबर 1945 हैदराबाद 'दकन' में आयोजित उर्दू के तरक्कीपसंद अदीबों की 'कुल हिंद कॉन्फ्रेंस' का रिपोर्ताज है। मुल्क में उर्दू अदीबों की इस तरह की यह पहली कॉन्फ्रेंस थी। आजादी से पहले हुई इस अहम कॉन्फ्रेंस में उर्दू अदब से जुड़े हुए अनेक बड़े अदीब मसलन मौलाना हसरत मोहानी, एहतिशाम हुसैन, डॉ. अब्दुल अलीम, काजी अब्दुल गफ्फार, फिराक गोरखपुरी, सज्जाद जहीर, डॉ. मुल्कराज आनंद, सरोजिनी नायडू, जोश मलीहाबादी, अली सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, मखदूम मोहिउद्दीन, कैफी आजमी, वामिक जौनपुरी, सागर निजामी, सिब्ते हसन, महेन्द्रनाथ, आदिल रशीद, मुमताज हुसैन, इब्राहिम जलीस, जिगर हैदराबादी, कुद्दस सहबाई, रिफअत सरोश, मदन गोपाल और कृश्न चंदर वगैरह ने शिरकत की थी। हैदराबाद में उस वक्त जैसे तरक्कीपसंद तहरीक की पूरी कहकशां जमीन पर उतर आई थी। यह एक यादगार और ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस की कुछ अहम बातों का जिक्र तरक्कीपसंद तहरीक के रूह ए रवां सज्जाद जहीर ने भी अपनी अहमतरीन किताब 'रौशनाई तरक्कीपसंद तहरीक की यादें' में किया है, ''यह कॉन्फ्रेंस कोई पांच दिन तक हुई। इसका उद्घाटन मिसेज नायडू ने किया। उद्घाटन समारोह एक सिनेमा हॉल में हुआ था। और उसमें कोई दो–ढाई हजार का मज्मा रहा होगा। इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्षमंडल में मौलाना हसरत मोहानी, डॉ. ताराचंद, कृश्न चंदर, फिराक गोरखपुरी और एहतिशाम हुसैन शामिल थे। पहले दिन के उद्घाटन की सदारत कृश्न चंदर ने की। 'पौदे' की तारीफ करते हुए सज्जाद जहीर आगे लिखते हैं, ''इससे बेहतर या वैसा भी लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। 'पौदे' साहित्य और पत्रकारिता की मिली–जुली विधा में जिसका नाम रिपोर्ताज है, एक खास हैसियत रखती है। इसमें कॉन्फ्रेंस के ब्यौरे नहीं, बल्कि इसकी फजा और माहौल को पेश किया गया है। कृश्न चंदर ने अपनी इस किताब में कॉन्फ्रेंस के अकेडमिक ब्यौरे नहीं दिए हैं, बल्कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस की फजा और माहौल की शानदार अक्कासी की है। कृश्न चंदर ने हालांकि, इस पूरी किताब में अदबी जबान का इस्तेमाल किया है, जो आम पाठकों के लिए सहल नहीं। बावजूद इसके 'पौदे', पाठकों पर अपना मुकम्मल असर छोड़ती है। पाठक इस किताब को एक बार पढ़ेंगे, वे इसकी इब्तिदा से लेकर आखिर तक इसके मोहपाश में बंधे रहेंगे। कृश्न चंदर की लेखनी का जादू, पूरी किताब में बिखरा पड़ा है। उनकी बेहतरीन किस्सागोई ने इस छोटे से रिपोर्ताज को भी मानो शाहकार बना दिया है। किताब में प्राक्कथन सज्जाद जहीर ने लिखा है। साथ ही कृश्न चंदर की भी एक लंबी भूमिका है।

कवि विश्वजीत सेन होने का अर्थ

सुमन्त

अजीब शख्सियत थे बंगला के प्रख्यात कवि लेखक विचारक विश्वजीत सेन यानि नादू दा। बेइंतहा प्यार करने वाले तो अगले ही पल एकदम से लतियाने वाले भी। कोई गारंटी नहीं कि आपने उनकी अंतरंग बैठकी में लगातार पांचवीं चाय पी ली तो छठी चाय की बारी आते आते आपको उनके अपमान की कड़वी घूंट न पीनी पड़ जाये। अपनी इन्हीं आदतों के चलते नादू दा आखिरी वक्त में सबसे कट–छंट गये थे या कहिये गहन गोपन में चले जाने को विवश हो गये थे।

एक जीनियस और वह भी मार्क्सवाद में पारंगत मानुष अपनी ही ज्ञान–विलासिता का शिकार होकर अहंकार के किसी अंध कूप में अपने को कैसे कैद कर लेता है – इसके बेहतरीन मिसाल थे नादू दा!

नादू दा किस विषय के ज्ञाता न थे! इंजीनियरिंग का छात्र होने के नाते तकनीक और विज्ञान का ज्ञान तो वे मानो अपनी जेब में लिए फिरते थे, साहित्य का वैश्विक संसार जैसे उनका फुटबॉल का खेल का मैदान हो, द्वितीय विश्वयुद्ध के इतिहास का और खास तौर पर उसमें सोवियत फौजों की अकल्पनीय भूमिका का वर्णन तो इस रोमांचकता रोचकता के साथ करते जैसे वे स्वयं उन युद्धों में एक सैन्य विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए हो! कहना न होगा कि सैन्य मामलों की अपनी ऐसी सूक्ष्म और गहन जानकारी के मामले में वे कभी कभी फ्रेडरिक एंगेल्स के सैन्य ज्ञान को छू लेते प्रतीत होते थे। मार्क्सवाद की उनकी अपनी ही अनोखी व्याख्या थी जिसमें भारतीय चिंतन परंपरा और भारतीय परिस्थितियों के सम्मिश्रण का योग भी भरपूर होता था। रामकृष्ण परमहंस की जीवन गाथा के प्रति उनकी उतनी ही आसक्ति थी जितनी कि मार्क्स या चे के विराट व्यक्तित्व के प्रति।

कविता पाठ की उनकी सम्मोहक कला के भी क्या कहने। जीवनानंद दास उनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। नादू दा जब उनकी कविताओं की आवृत्ति करने पर उतर आते तो मानो प्रकृति की सतरंगी छवियां पानी की तरह सामने वाले के भीतर परत दर परत अपनी जगह बनाने लगती थीं! रोमांटिसिज्म उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। इस माने में वे चे गुवेरा के दिवाने थे। मुझे लगता है वाम राजनीति में सक्रिय भागीदारी की अपनी सीमाओं की पूर्ति वे वाम रोमांटिसिज्म के कल्पित भंवर में गोते लगाकर करना चाहते थे! चे गुवेरा के प्रेम पत्रों और उनकी प्रेम कविताओं पर बात करते हुए उनका मुखमंडल एक अजीब ओज से आभासित हो उठता था।

दूसरे छोर पर, वे अपनी स्वयं की कविताओं में मृत्यु से ऐसी आत्मीयता से साक्षात्कार करते प्रतीत होते हैं मानो मृत्यु एक सखा की तरह उनके जीवन में हर वक्त मौजूद रही हो। मगर, क्या मजाल कि उनकी कविताएं हमें हताशा की बूंद भर भी स्वाद चखाती हो! उनकी कविताओं को पढ़ना अल सुबह की लालिमा की भांति उम्मीदों से भरे एक भरपूर उजास से लकदक हो उठना है। हां, क्रांति की बेकल पुकार से वे अपनी कविताओं में सदा दूर ही दूर रहे हैं। यह अलग बात है कि बाद के समय में उनकी बैठकी में सशस्त्र क्रांति के अवगाहन में लगे कामरेडों की भी उपस्थिति खूब बढ़ गयी थी। हिंदी में उन्होंने कविताएं नहीं लिखीं मगर, हिंदी कवियों और कविता की प्रवृत्तियों पर जैसी पैनी निगाह उनकी थी, वह चमत्कृत कर देने वाली थी। भक्ति आंदोलन के कवियों से लेकर समकालीन हिंदी कवियों तक की उनकी सूची और उन पर उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां यदि सुरक्षित रहतीं तो वे किसी धरोहर से कम न होतीं।

उनका सधा गायन सुनना भी अपने आप में एक उपलब्धि होती थी। सार्वजनिक जगहों पर शायद ही किसी ने उनके गाने सुने हो मगर, अंतरंग बैठकी में भी उनके कंठ से स्वर लहरियां तभी निकलने को राजी होतीं जब उन्हें भरोसा हो जाये कि सामने वाला सुनने के काबिल है भी या नहीं! बंगला और हिंदी के गानों पर समान अधिकार प्राप्त था उन्हें मगर, तलत महमूद के 'जलते हैं जिसके लिए...' को वे जिस तन्मयता से गाते थे उसका जवाब नहीं। संगीत की उत्पत्ति और उसके विस्तार पर भी वे अपनी शास्त्रीय और मौलिक पकड़ से हमें लाभान्वित करने से बाज नहीं आते थे।

अब इस छोटी सी टिप्पणी में नादू दा के व्यक्तित्व के किस छोर को छोड़ा जाये और किसे समेटा जाये, यह प्रश्न ही बड़ा अबूझ है! मगर, कोई यह तो पूछ ही सकता है कि भई, विश्वजीत सेन यानि नादू दा को यहां इस विखंडित रूप से याद करने का क्या सबब है? इसके जवाब में मैं जो भी कहना चाहूंगा, वह शायद कम मसखरापन भरा न हो? दरअसल, नादू दा की बंगला कविताओं के हिंदी अनुवाद का एक छोटा सा संग्रह 'सीढ़ी उतरती है अंधेरे गर्भगृह में' के नाम से साया हुआ था। हिंदी अनुवाद उनके अभिन्न मित्र और हिंदी के सुविख्यात कवि पत्रकार रामकृष्ण पांडेय ने किया था। नादू दा ने मुझे बड़े प्यार से वह किताब दी थी उस पर कुछ लिख कर देने की खातिर। मैंने उस पर अपनी टिप्पणी लिखी भी मगर, जैसा कि ऊपर वर्णित है, नादू दा का खब्तीपन यह था कि वे जिसे बेइंतहा प्यार करते थे उसे उन्हें लतियाते भी देर नहीं लगती थी। कहना न होगा कि उनके आखिरी समय के थोड़े दिन ही पहले मैं उनके इस खब्तीपन का शिकार हो गया। फिर हुआ ये कि मैंने भी खुंदक में उन्हें न अपनी टिप्पणी दी और न ही फिर कभी उनसे मिलने गया।

यह तो कल रात ही हुआ कि मैं रामू जी (दिवंगत रामकृष्ण पांडेय) का कविता संग्रह खोजने बैठा तो वह तो न मिला मगर, नादू दा के संग्रह पर लिखी पर दिमाग से उतर चुकी मेरी टिप्पणी अकस्मात मिल गयी। टिप्पणी क्या मिली, नादू दा की याद हाहाकर उमड़ पड़ी। फिर क्या था, एक ही सांस में उलटा सीधा जो भी बन पड़ा, उनकी शख्सियत के अनेक रंगों को इस रूप में दर्ज करने की अपनी बेचैनी को मैं रोक न सका। उनके अनगिनत चाहने वाले हैं, यदि इसमें उन्हें बदतमीजी जैसी कोई बात दिखे तो क्षमा प्रार्थी हूं। उनके संग्रह पर लिखी अपनी टिप्पणी फिर कभी बाद में।

फिलहाल, विश्वजीत सेन द्वारा हिंदी में अनुवादित बंगला के अत्यंत विख्यात कवि वीरेंद्र चट्टोपाध्याय की एक कविता का आनंद लीजिएः

कहीं मनुष्य भला रह गया है
–वीरेंद्र चट्टोपाध्याय

कहीं मनुष्य भला रह गया है,
इसीलिए
आज भी उसकी सांस निर्मल है
यद्यपि वजीर, काजी, शहर कोतवाल
बिखेर रहे हैं जहरीली धूल
पानी को बना रहे हैं मटमैला।
फिर भी मनुष्य
बच्चे को देखने पर नम्र होता है
माता की गोद में सर रखता है
भूखी हालत में भी
औरत को सीने से लगाता है।
किसी में यह क्षमता नहीं कि उसे
संपूर्ण नष्ट कर दें!
अनुवादकः विश्वजीत सेन

डार्विन सिद्धांत को पाठ्य–पुस्तकों से हटाना विज्ञान विरोधी

ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फ्रंट की तिरुपति इकाई ने ''डार्विन सिद्धांत को पाठ्य–पुस्तकों से हटाना विज्ञान विरोधी'' विषय पर सेमिनार का आयोजन किया।

सेमिनार के मुख्य वक्ता नागपुर के डॉ. युगल रायलु थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉ. भालचंद्र कांगो और भाकपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अनिल राजिमवाले इस अवसर पर अतिथि वक्ता थे।

इस विषय पर बोलते हुए मुख्य वक्ता डॉ. रायलु ने विश्व की वैज्ञानिक समझ के विकास में तीन वैज्ञानिकों–आइजक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन और कार्ल मार्क्स के महान ऐतिहासिक योगदान के बारे में बताया। न्यूटन ने गति के अपने नियमों के अनुसार व्याख्या की कि किस प्रकार तारों और ग्रहों को अपने गति के लिए किसी दैविक नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह समझ दुनिया की मानवीय समझ को आस्था से हटाकर विश्लेषण पर ले गई। इसी प्रकार डार्विन ने बताया कि मानव इस पृथ्वी के कोई विशेष जीव नहीं है। उन्होंने निर्णायक तौर पर व्याख्या की कि मानव प्राणी जगत का एक हिस्सा है और क्रम विकास की श्रृंखला के अंतिम छोर पर है।

डॉ. रायलु ने कहा कि डार्विन की खोज ने इस विचार को नकार दिया कि मानव की एक नस्ल किसी दूसरी नस्ल से श्रेष्ठ है। उनके सिद्धांत ने सुस्पष्ट तरीके से साबित किया कि तमाम मानव परस्पर संबंधित हैं और उस एक साझा परिवार से संबंध रखते हैं जो 50 लाख साल पहले एक साझा पूर्वज से शुरू हुआ था। उनके इस सिद्धांत से आदम और हव्वा के सिद्धांत के समर्थकों को झटका लगा जो समझाते थे कि मानव किसी दैवीय पिता की सन्तान हैं। उन्होंने डार्विन को धर्म–बहिष्कृत कर दिया। जिन संस्थानों ने डार्विन को बहिष्कृत किया था, बाद में उन्होंने इसके लिए क्षमा मांगी और कहा कि उन्होंने गलत किया था और उस महान वैज्ञानिक के प्रति अन्याय किया था।

डॉ. रायलु ने कहा कि डार्विन को पाठ्य–पुस्तकों से हटाकर हमारे शासक समाज को पीछे ले जा रहे हैं। पाठ्य–पुस्तकों में इस तरह के बदलाव करने से हमारी नई पीढ़ी विश्व समुदाय से स्पर्धा में अलाभकारी स्थिति में पड़ जाएगी।

डॉ. रायलु ने प्रगतिशील सोच रखने वाले नागरिकों का आह्वान किया कि इस तरह के प्रतिगामी कदम के खिलाफ खड़े हों ताकि हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य को बचाया जा सके।

सेमिनार को संबोधित करते हुए डॉ. कांगो ने कहा कि भारत के संविधान ने सरकार पर यह जिम्मेदारी आयद की है कि नागरिकों में वैज्ञानिक समझ विकसित करने की दिशा में काम करे। डार्विन को पाठ्य–पुस्तकों से हटाने जैसा प्रतिगामी कदम उठाकर असल में भाजपा सरकार ने संविधान का अपमान किया है। सही सोच रखने वाले सभी लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए अन्यथा भावी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। उन्होंने सही समय पर सेमिनार के आयोजन के लिए तिरुपति इकाई का अभिनंदन किया।

इस अवसर पर बोलते हुए अनिल राजिमवाले ने कहा कि मार्क्स और डार्विन समकालीन थे और उनके बीच विचारों का काफी आदान–प्रदान हुआ है जो उनके कार्यों में दृश्यमान है। मार्क्स अपनी ऐतिहासिक कृति ''पूंजी'' को डार्विन को समर्पित करना चाहते थे। मार्क्स को धन्यवाद करते हुए डार्विन ने यह कहकर इससे इंकार कर दिया कि इतनी महान पुस्तक के समर्पण के लिए वह अत्यंत छोटे व्यक्ति हैं। उनके बीच परस्पर इतना अधिक सम्मान था।

राजिमवाले ने आगे कहा कि डार्विन और मार्क्स ने, दुनिया जिस तरह इतिहास को देखती है, उस तरीके को ही बदल दिया। समापन करते हुए उन्होंने कहा कि डार्विन और मार्क्स को इस बात का श्रेय जाता है कि उनके बाद इतिहास को भौतिक सबूतों के साथ पढ़ा जाने लगा।

सेमिनार के प्रारंभ में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फ्रंट के आंध्रप्रदेश अध्यक्ष प्रो. वेंकटरमन ने अतिथियों का स्वागत किया और उनका परिचय कराया। उन्होंने प्रगतिशील सोच रखने वाले लोगों का आह्वान किया कि उन्हें हमारे समाज में हो रहे घटनाक्रमों के संबंध में सचेत एवं सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा यह सेमिनार उस दिशा में एक कदम है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव फ्रंट के तिरुपति सचिव डॉ. एम.जी. प्रसाद ने सेमिनार का संचालन किया और अध्यक्ष गुरूवैया ने अध्यक्षता की, जबकि महिला कन्वीनर रेणुका देवी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पूर्व एमएलसी के. नरसिम्हा रेड्डी, रमा नायडु, पी. मुरली, के. शिवारेड्डी, जी. नागेश्वर राव आदि ने सेमिनार को सफल बनाने में योगदान किया।

"लोक विरासत'–लोक संगीत पर आधारित इप्टा जेएनयू की प्रस्तुति

''केकरा केकरा नाम बताऊँ, इस जग में बड़ा लूटेरवा हो''

संतोष कुमार

भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) के 80वें स्थापना दिवस (25 मई) के अवसर पर इप्टा की विभिन्न इकाइयों ने देशभर में सांस्कृतिक आयोजन किए। इसी कड़ी में इप्टा जेएनयू ने 26 मई को लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम 'लोक विरासत' का आयोजन किया जिसमें कबीर, बुल्ले शाह, फरीद के कलाम के साथ ही बिदेसिया और इप्टा की अपनी फिल्म 'धरती के लाल' में शामिल लोक गीतों की प्रस्तुति दी। प्रस्तुतियों के दौरान भारत में प्रगतिशील सांगीतिक परंपरा और उसमें इप्टा के योगदान पर वरिष्ठ कलाधर्मी और रंग–संगीतज्ञ काजल घोष ने दर्शकों से बातचीत की। वैश्वीकरण और बाजार की मार धीरे–धीरे ग्रामीण और लोक परिवेश को भी खा रही है, इसकी लपटें आज देश से देस तक की यात्रा कर चुकी हैं। कबीर हों या बुल्ले शाह, या फिर अन्य मध्यकालीन प्रगतिशीलता के पुरोधा, वे लोक से सीधे जुड़े रहे। उन्होंने लोकधर्मिता को आगे बढ़ाया और देस में व्याप्त रूढ़ियों, ढकोसलों, भेदभाव को चुनौती दी। उनके बोलों का तकाजा यह था कि अगर वे मौजूदा दौर में रहते तो शायद उन्हें भी फासीवादी सांप्रदायिक ताकतों द्वारा देश और संस्कृति का विरोधी ठहरा दिया जाता। इप्टा जेएनयू ने "लोक विरासत" की प्रस्तुति के लिए अपने इन्हीं प्रगतिशील पुरखों की रचनाओं का चयन किया था। लोक में प्रेम की पैरोकारी करने वाले कबीर के गीत 'जरा हल्के गाड़ी हाँको मोरा राम गाड़ीवाला' की संगीतमयी प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद भेद पैदा करने वाले तत्वों से आगाह करने वाले कबीर के ही गीत 'होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा', इंसान के इंसान से भेद को नकारती बाबा फरीद की रचना 'वेख फरीदा मिट्टी खुल्ली' व बुल्ले शाह रचित 'माटी कुदम करेंदी यार', बिदेसिया पर आधारित राममूर्ति चतुर्वेदी के गीत 'दिनवा गिनत मोरी घिसली उमरिया', राजस्थानी लोकगीत 'कदी आवो नी रसीला म्हारे देस' और अंत में इप्टा के

बैनर तले 1946 में आई फिल्म 'धरती के लाल' के लोकगीत 'केकरा केकरा नाम बताऊँ इस जग में बड़ा लूटेरवा हो' की संगीतमयी प्रस्तुति इप्टा जेएनयू के कलाकारों ने दी। कार्यक्रम की प्रस्तुति में कोशिश यह रही कि बहुल लोक के गीतों को शामिल किया जाए साथ ही भारत में प्रगतिशील संगीत परंपरा में लोक संगीत के योगदान पर रंग–संगीतज्ञ काजल घोष से बातचीत की जाए। गीतों की प्रस्तुति के बीच काजल दा से मंच संचालक रजनीश साहिल की बातचीत का यह दौर जारी रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए रजनीश साहिल ने कहा कि इप्टा के गठन के समय फासीवादी सांप्रदायिक राजनीति अपने पैर जमा रही थी, जिसके खिलाफ इप्टा ने आवाज उठाई और अपनी प्रस्तुतियाँ कीं। आज जब उसी राजनीति द्वारा संस्कृति का हवाला देते हुए हमें बार–बार एक 'खास गौरवमयी अतीत' की ओर देखने के लिए कहा जाता है तो हमने भी तय किया है कि हम अतीत की ओर देखेंगे, लेकिन नफरत की नजर से नहीं बल्कि प्रेम की नजर से। हम अपने उन पुरखों को याद करेंगे जिन्होंने समाज में प्रेम की बात की और गलत को गलत कहा, जिन्होंने जन की तकलीफों की बात की। लोक संगीत में प्रगतिशील मूल्यों और प्रतिरोध के बारे में बोलते हुए काजल घोष ने कहा कि 'संगीत में सुर से पहले लय आती है और लय हमारे जीवन में, हमारे कामों में है। जब एक किसान फसल काटता है, एक कारीगर काम करता है या मछुआरा नाव चलाता है तो उसके काम में एक लय होती है। कोई भी व्यक्ति जब श्रम का काम करता है तो उस काम की एक लय होती है और उस लय पर वह अपने दुख–सुख, सपने गुनगुनाता है। जब यह लय और गुनगुनाहट एक व्यक्ति से निकलकर सामूहिकता में आती है तो वह लोक की धुन हो जाती है। कह सकते हैं कि लोक संगीत श्रम से उपजा संगीत है और इस संगीत के साथ कबीर, बुल्ले शाह आदि को गाना अपने आप में प्रगतिशील और प्रतिरोध का संगीत है क्योंकि इन सभी ने अपने समय में जो चीजें गलत थीं उनका विरोध किया, अपने समय से आगे देखते हुए समानता, भाईचारे और प्रगतिशील मूल्यों की बात की। अक्सर कहा जाता है कि युवा रील्स की दुनिया में मगन और हताश हो रहा है, वह अपनी जड़ों से दूर हो रहा है, लेकिन इस आयोजन में बतौर श्रोता/दर्शक शामिल होने के लिए निर्धारित समय से पहले ही युवा पहुँचने लगे थे जिससे साबित होता है कि लोक में किसी भी दीवार को ढहा देने की ताकत है। आज जब संकीर्ण राजनीति, पूंजी और तकनीक के गठजोड़ द्वारा तमाम तरह के भेद और वैचारिक अवरोध विश्वविद्यालय परिसर से लेकर आम जन के बीच तक खड़े किए जा रहे हैं तो उन्हे गलाने के लिए लोक कला और लोक संस्कृति का पानी ही इस्तेमाल करना होगा। नफरत की दीवारें कितनी ही ऊंची क्यों न हो जाएं, क्रोनी पूंजीवाद कुछ भी क्यों न परोस दे, उसका जवाब हम अपनी लोक विरासत से दे सकते हैं।

यह वही दौर है जब सत्ता के गलियारों से सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला जारी है और विश्वविद्यालय इसके पहले निशाने पर हैं। उचित और व्यवस्थित जगह न होने के बावजूद भी इप्टा जेएनयू के साथियों ने लगातार कई दिनों तक प्रस्तुति की तैयारी की। वर्षा आनंद, क्षितिज वत्स, रजनीश साहिल, विनोद कोष्टी ने मिलकर गीतों के बोल से लेकर धुन तक को तैयार किया। ढोलक पर रमेश और हारमोनियम पर अनुला की संगत में इन्द्रदीप, मेघा, वर्षा, कृतिका, वर्षा आनंद, क्षितिज वत्स और मनमोहन ने लोक धुनों पर आधारित गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। पूरे अभ्यास और प्रस्तुति के दरमियान विनोद कोष्टी व संतोष कुमार ने मिलकर तैयारी से संबंधित पहलुओं व व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली। कार्यक्रम का पोस्टर रजनीश साहिल ने तैयार किया और प्रचार–प्रसार की जिम्मेदारी सभी साथियों ने मिलकर उठाई।

आंदोलन की भावी रणनीति के लिए भाकपा मधुबनी की बैठक

मधुबनीः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला परिषद् की बैठक राजश्री किरण की अध्यक्षता में जिला कार्यालय शहीद भवन मधुबनी में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने कहा कि राष्ट्रव्यापी पदयात्रा पूरे बिहार में 14 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होकर निरंतर जारी है। सम्पूर्ण बिहार के पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक गांव गांव जनसंपर्क अभियान में भाग ले रहे है। 8, 9 जून को पूर्व घोषित राज्य के सभी समाहरणालयों पर जनसत्याग्रह की तैयारी जोरों पर है। रामनरेश पांडेय ने कहा 9 जून को नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के कारण 6 जिलों में 20 जून को समाहरणालय पर सत्याग्रह जेल भरो आंदोलन होगा। भाजपा हटाओ–देश बचाओ, नया भारत बनाओं के आह्वान के साथ सम्पूर्ण बिहार में भाकपा अपने पुराने जनाधार को वापस लाने के लिए संकल्पित है। भाकपा के आंदोलन एवं संघर्ष के इतिहास को वर्तमान राजनीतिक परिस्थित में आमलोगों तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। राज्य सचिव ने कहा कि मधुबनी जिला में पार्टी द्वारा कई बड़े बड़े आंदोलन किए गए।

जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा कि 20 जून का सत्याग्रह जेल भरो आंदोलन में जिले के तमाम जरूरतमंद लोगों के सवालों को लेकर, बाढ़,सुखाड़, बिजली संकट के स्थाई समाधान, बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण, 5 डेसिमल बास योग्य जमीन, कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित कई ज्वलंत मुद्दों के साथ जन सत्याग्रह आंदोलन होगा। मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों से से हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थक मधुबनी समाहरणालय पर सत्याग्रह में भाग लेंगें एवं गिरफ्तारी देंगें। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले की जनता भाकपा के आंदोलन एवं संघर्ष पर विश्वास करती है। स्मृतिशेष भोगेंद्र झा, चतुराणन मिश्र, वैधनाथ यादव, राजकुमार पूर्वे, मांझी साहू के कार्यक्षमता, पलटू यादव, संतु महतों, संत खतवे सहित दर्जनों शहीदों के बदौलत लाखों लोगों को बसाया गया। जुल्म, अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ भाकपा का आंदोलन आज के नौजवानों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। देश की सत्ता पर पूंजीवादी ताकतों के द्वारा गरीब किसान विरोधी नीतियों को लागू किया जा रहा है। भाकपा मधुबनी, 20 जून को समाहरणालय का मुख्य द्वार बंद करते हुए आमलोगों के साथ हो रही प्रशासनिक मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी।

सत्याग्रह की सफलता के लिए पुनः 1 जून से 10 जून तक सम्पूर्ण जिले में सघन पदयात्रा अभियान चलाया जाएगा। 11 जून से 19 जून तक मोटरसाइकिल जुलूस, नुक्कड़ सभा, जीबी प्रचार प्रसार किया जायेगा।

बैठक में राज्य परिषद सदस्य कृपानंद आजाद, राकेश कुमार पांडेय, सूर्यनारायण महतो, किसान सभा के राज्य सचिव मनोज मिश्र, बेनीपट्टी अंचल मंत्री आनंद कुमार झा, बिस्फी अंचल मंत्री महेश यादव, बासोपट्टी अंचल मंत्री जामुन पासवान, जयनगर सहायक अंचल मंत्री रामाधार ठाकुर, मधुबनी शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा, जयनगर शहर मंत्री श्रवण साहू, जलेश्वर ठाकुर, नौजवान संघ के जिला सचिव संतोष झा, हरिनाथ यादव, मंतोर देवी, सत्यनारायण राय, जुबेर अंसारी, कलुआही अंचल मंत्री रामचंद्र राम, मो जहागीर, बलराम यादव, खेत मजदूर यूनियन के जिला मंत्री रामचंद्र पासवान सहित कई लोगों ने अपनी विचार रखे।

उत्तराखण्ड राज्य में भाकपा का भाजपा...

पेज 6 से जारी...

आसपास के लगभग 10 गांवों के 200 घरों तक जनसम्पर्क कर पर्चे वितरित किये गये।

मुनि की रेती

नगरपालिका परिषद गुनि की रेती, ढालवाला क्षेत्र में चन्दा देवी, शायरा खातून, प्रीतम सैनी, गंगा नन्द सिंह, विनोद ध्यानी, जगदीश कुलियाल ने पर्चे वितरित किये।

पौड़ी

पौड़ी गढ़वाल में जिला सचिव श्री ज्ञान सिंह नेगी, बचन सिंह आदि साथियों ने कोटद्वार, मगनपुर, झण्डीचौड़, जसोदपुर उद्योग क्षेत्र में सम्पर्क कर पम्पलेट्स आदि वितरित किये।

हरिद्वार

हरिद्वार में एम. एस. वर्मा के नेतृत्व में के. के. लाल, विक्रम सिंह नेगी, दीपक शांडियाल, भगवान जोशी आदि ने ज्वालापुर, कनखल, बी.एच.ई.एल. रूड़की आदि क्षेत्रों में जनसम्पर्क कर पम्पलेट्स वितरण किये झबरेड़ा क्षेत्र में ईंट भट्टा मजदूरों के बीच में गुरमीत सिंह खालसा ने सम्पर्क कर पर्चे वितरण किये।

देहरादून

देहरादून में एक दिवसीय पैदल जनसम्पर्क यात्रा हरवंशवाला टी–स्टेट क्षेत्र में अशोक शर्मा, विक्रम पुण्डीर शहर सचिव के नेतृत्व में चित्रा, सोहन रजवार, घनश्याम, लक्ष्मी भट्ट, विशेष शर्मा, रविन्द्र जग्गी, लता, सुनीता, लक्ष्मी, ममता आदि ने पैदल यात्रा के दौरान मजदूरों, किसानों व ग्रामीणों से जनसम्पर्क कर पर्चे वितरित किये और एक जनसभा भी की।

ऋषिकेश

ऋषिकेश क्षेत्र में हरिनारायण, वीरेन्द्र शर्मा ने पर्चे बांटकर जनसम्पर्क किया। श्यामपुर ग्रामीण क्षेत्र में गढ़ी, नेपालीफार्म, खैरीखुर्द, खदरी श्यामपुर आदि क्षेत्र के सैकड़ों घरों में धर्मानन्द लखेड़ा, विजेन्द्र कलूडा आदि ने जनसम्पर्क कर पर्चे वितरित किये।

चमोली, रूद्रप्रयाग, ऊधमसिंहनगर के जिला सचिवों ने अभी तक कोई सूचना पैदल यात्रा की राज्य केन्द्र को नहीं दी है, जिसकी समीक्षा आगामी राज्य काउंसिल की बैठक में की जायेगी। अतः अप्रैल, मई, जून तीन माह उत्तराखण्ड में पीक यात्राकाल होता है। इस समय अधिकांश साथी रोजगार के लिये पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं इसलिये पार्टी के लिये समय नहीं निकाल पाये हैं। 15 सितम्बर से 30 दिसम्बर 2023 तक उन जिलों से सख्ती से काम लेने का प्रयास किया जायेगा जिन्होंने रस्म अदायगी करने का कृत्य किया है।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दरः

वार्षिक	: 350 रूपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रूपये
एक प्रति	: 7 रूपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी	: 70 रूपये

खाता नामः **मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक**
बैंकः **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच**
चालू खाता संख्याः **1033004704**
आईएफसी कोडः **सीबीआईएन0280306**

कापी मगाने के लिये लिखेंः
व्यवस्थापकः मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15–का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली–110002

नोटः डीडी और चेक केवल ''मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक'' के नाम होना चाहिए।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़ः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैंः
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरणः
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

स्वतंत्रता दिवस तक एक लाख आमसभाएं...

पेज 1 से जारी...

स्वास्थ्य न होने और वृद्धावस्था संबंधी तकलीफों के बावजूद लगभग 25 वरिष्ठ महिला नेता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची। इनमें आशा मिश्रा, सुशील सरगम, सुशीला सहाय, कुशल भौरा, फिलोमिना कार्डोज, कमल सदानन्दन, रीमा चटर्जी और पी. पदमावती आदि शामिल हैं।

एकजुटता

एडवा, एआईडीएमएएम, एआईएमएसएस, पीएमएस, जेडब्लूपी जैसे महिला संगठनों की नेताओं के अलावा पीयूसीएल और अनहद जैसे लोकतांत्रिक संगठनों और डा. लियानबोई वेईफेई और प्रो. अपूर्वानन्द जैसे एकेडमिकों, वरिष्ठ पत्रकार पामेला फिलिपोस, सुप्रसिद्ध एक्टविस्ट नवशरण कौर, निषात हुसैन और एआईवाईएफ महासचिव तिरूमलाई रमन आदि से सम्मेलन को एकजुटता संदेश प्राप्त हुए जिसमें उन्होंने एक लिंग–न्यायसंगत समाज की दिशा में अपने काम को जारी रखने का संकल्प दोहराया।

पोस्टर जारी किया गया

भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन के एक साल तक चलने वाले आयोजनों के एक हिस्से के तौर पर फेडरेशन ने 4 जून 2024 तक दस लाख महिलाओं के लिए कानूनी शिक्षा का कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। इस संबंध में सम्मेलन के दौरान एक पोस्टर जारी किया गया।

नई चुनौतियां

इस कार्यक्रम के साथ–साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन ने महिला पहलवानों द्वारा किए जा रहे संघर्ष को अपना समर्थन दिया और पोश और पोक्सो के सख्ती से अमल के लिए और इन कानूनों को और मजबूती देने के लिए और पहलवानों के संघर्षों के लिए अपने समर्थन को जारी रखने का संकल्प किया।

भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की इकाईयां 24 अप्रैल 2023 से ही संघर्षरत महिला पहलवानों के साथ

एकजुटता व्यक्त करने के लिए देशभर में विरोध कार्यक्रम कर रही हैं। उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष एवं भाजपा संसद सदस्य बृजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए लाखों महिलाओं से हस्ताक्षर कराए हैं जिनके खिलाफ महिला पहलवानों, जिनमें एक नाबालिग शामिल है, ने यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज की हैं।

जिन पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर मैडल जीते और देश का गौरव बढ़ाया मोदी सरकार उनकी मदद करने के बजाय खामोश है और दोषी बृजभूषण शरण सिंह को मौका दे रही है कि वह शिकायतकर्ताओं को डराये–धमकाए और सरकार पर भी दबाव डाले कि पोक्सो कानून में ऐसा संशोधन किया जाए कि वह गिरफ्तारी से बच जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही एफआईआर दर्ज हो सकीं। एफआईआर दर्ज होने से पहले और बाद में भी मोदी सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है कि वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोक कानून (पोश कानून) और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (पोक्सो) कानून का सरासर उल्लंघन करे। पहलवानों के मामले में उपरोक्त कानूनों के साथ आपराधिक भितरघात करने से पहले 15 अगस्त 2022 को, स्वतंत्रता की 75वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे उन 11 मुजरिमों की सजा माफ कर दी जिन्होंने 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के दौरान बिल्किस बानों के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उसके परिवार के अनेक सदस्यों की हत्या कर दी थी। यह शर्मनाक बात है कि इन दोनों मामलों में अपराधी लोगों को केन्द्र की आरएसएस–भाजपा सरकार का समर्थन मिल रहा है।

देश अभूतपूर्व बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई, भूख, गरीबी, कुपोषण, खासकर महिलाओं के कुपोषण जैसी भयानक समस्याओं से ग्रस्त है।

मोदी सरकार के अंतर्गत विरोध एवं असहमति की आवाज को कुचला जा रहा है, सजा दी जा रही है और दूसरी तरफ संघ परिवार, जो जाति और धर्म के आधार पर लोगों में फूट डाल रहा है, को सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। तथ्यों को बताने के बहाने इतिहास को विकृत किया जा रहा है, इतिहास का पुर्नलेखन किया जा रहा है। संस्कृति को बचाने के नाम पर मनुवाद की विचारधारा और एजेंडे के अनुसार पाठ्यक्रमों में बदलाव किए जा रहे हैं। विज्ञान और वैज्ञानिक मनोभाव (साइंटिफिक टेम्पर) आगे बढ़ाने के बजाय अंधविश्वास और कुरीतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है परन्तु नई संसद भवन के उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति को निमंत्रित भी नहीं किया गया और तथाकथित ''साधु–सन्तो'' का जमावड़ा वहां किया गया; राजाओं के शासन के प्रतीक राजदंड की प्रतिष्ठा की गई। ऐसे कामों से संकेत मिलता है कि मोदी सरकार भारत को एक ''हिन्दू राष्ट्र'' घोषित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

आगे का रास्ता

अपने 70 साल के कामों, संघर्षों एवं बलिदानों के जरिए भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन ने भारतीय महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक जीवन के लिए शानदार योगदान किया है। परन्तु आज जब फेडरेशन अपने स्थापना के 70वें साल में प्रवेश कर रहा है तो हम पाते हैं कि हमारे लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने के अस्तित्व मात्र को ही गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। अतः फेडरेशन को आने वाले समय में और अधिक संघर्ष करने होंगे। इन संघर्षों में सफल होने के लिए और बहुसंख्यक वादी चुनौती का साहस एवं प्रतिबद्धता के साथ सामना करने के लिए हमें अपने संगठन में नई जान फूंकनी होगी और अपने सभी सदस्यों को फिर से शिक्षित करना होगा। हमें न केवल महिला संगठनों बल्कि सभी लोकतांत्रिक एवं प्रगतिशील ताकतों को एकताबद्ध करने की दिशा में अपने काम को जारी रखना चाहिए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए आवश्यक है कि सभी लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष संगठनों और आंदोलनों को एकताबद्ध करते हुए महिलाओं के आंदोलनों को मजबूत किया जाए। फासिस्टी ताकतों को हराने के लिए यह आवश्यक है।

सम्मेलन का आह्वान

70वीं जयंती सम्मेलन आह्वान करता है कि मनुवादी बहुसंख्यकवादी फासिस्टी मोदी सरकार के दुष्टतापूर्ण एजेंडे को बेनकाब करने और इसके खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 तक एक लाख आम सभाओं का आयोजन किया जाए।

विधान सभा चुनाव: भाकपा जिला भोपाल की बैठक आयोजित

भोपाल। आगामी विधान सभा चुनाव हेतु भोपाल जिले के नरेला विधान सभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी के संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद भोपाल की विशेष बैठक 4 जून 2023 को भाकपा राज्य कार्यालय शाकिर सदन में आयोजित हुई। इस बैठक में भाकपा मध्य प्रदेश राज्य सचिव अरविन्द श्रीवास्तव ने आगामी विधान सभा चुनाव में भाकपा की राजनीति, चुनाव के मुद्दे तथा चुनाव प्रचार की रणनीति के संबंध में मार्गदर्शन दिया। बैठक की अध्यक्षता डी डी शर्मा ने की। बैठक का संचालन भाकपा जिला भोपाल सचिव तथा नरेला विधानसभा क्षेत्र से भाकपा प्रत्याशी ए एच सिद्दीकी ने किया। बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति के संबंध में भाकपा सह राज्य सचिव शैलेन्द्र शैली, राज्य सचिव मंडल सदस्य सत्यम पांडे, राज्य परिषद सदस्य आर के तोतरे,सचिन श्रीवास्तव, कर्मचारी नेता एस सी जैन, गैस पीड़ित संगठन के नेता बालकृष्ण नामदेव, ट्रांसपोर्ट हम्माल मजदूर सभा के महासचिव फिदा हुसैन भाकपा जिला भोपाल सचिव मंडल सदस्य अजय राउत ने विचार व्यक्त किए। बैठक में चुनाव प्रचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अंत में बैठक के अध्यक्ष डी डी शर्मा ने आभार व्यक्त करते हुए बैठक में लिए गए निर्णयों पर प्रभावी ढंग से अमल सुनिश्चित करने की अपील की।

पहलवानों के समर्थन में एआईवायएफ का देशव्यापी...

पेज 16 से जारी...

मेटुपालयम नगर कमेटी की ओर न्याय के लिए लड़ रहे पहलवानों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया गया। नगर सचिव ए मंसूर ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। विरोध की जरूरत को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कोयंबटूर जिला उप सचिव जे जेम्स ने अपने विचार रखे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शहर सचिव एस शंमुगासुंदरम ने भी प्रदर्शन को संबोधित किया। पेरियार द्रविदार कझागम जिला अध्यक्ष टी. रामचंद्रन, थानथाई पेरियार द्रविदार कझागम जिला सचिव चंद्रशेखर, एनएचपी प्रदेश सचिव आर. शिवविलम परिधि, जय जीवा सिलम्बम और कुश्ती अकादमी द्वारका युवा परिषद के शहर कोषाध्यक्ष एस सेबुलोनराज भी प्रदर्शन में शामिल थे।

भाकपा जिला कमेटी सदस्य यू. आर. पलानीसामी, भाकपा शहर कोषाध्यक्ष एम. वेलिंगिरी ने कहा कि केन्द्र सरकार के जनविरोधी गतिविधियां इससे ही जाहिर होती हैं कि पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने वाले भाजपा सांसद पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। देश की शान की रक्षा जरूरी है अथवा भाजपा के आरोपी सांसद की। युवा नेताओं ने बताया कि हमारे संगठन की ओर से बृजभूषण शरण सिंह को सजा दिलाने की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

पश्चिमी बंगाल

कोलकत्ता: 5 जून 2023 को एआईवायएफ के कलकत्ता जिला सचिव इन्द्रजीत मल्लिक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।

एआईवायएफ कलकत्ता जिला सचिव इंद्रजीत मल्लिक मोर ने आयोजित सड़क बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार मोदी सरकार अपने यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद बृज भूषण शरण की बचाव कर रही है उससे भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पहलवानों पर मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस द्वारा की गयी बर्बरता से भाजपा–आरएसएस की फासीवादी मानसिकता का भी पता चल गया है।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 11 – 17 जून, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 9.6.2023

पहलवानों के समर्थन में एआईवायएफ का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली: दिल्ली में यौन शोषण के आरोनपी भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और पीड़िताओं को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर और दिल्ली के जंतर मंतर से बलपूर्वक और बर्बरतापूर्वक पहलवानों का धरना समाप्त किये जाने पर एआईवायएफ राष्ट्रीय कार्यसमिति ने रोष व्यक्त करते हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आहवान किया। जिसके जवाब में विभिन्न राज्यों की कई ईकाईयों ने विरोध प्रदर्शनों को आयोजन किये।

अखिल भारतीय नौजवान सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे महिला पहलवानों व अन्य पहलवानों को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरदस्ती हटाये जाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया। ध्यान रहे कि 28 मई 2023 को दिल्ली पुलिस के द्वारा धरना दे रहे पहलवानों को बर्बरतापूर्वक मारते हुए जंतर मंतर से उनका धरना हटा दिया गया था, क्योंकि वह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी के संसद सदस्य बृजभूषण के द्वारा उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार किए जाने के विरोध में उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। उनकी मांग थी कि सरकार बृजभूषण पर कार्यवाही करें लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बीजेपी सरकार बृजभूषण बचाने के प्रयास में लगी थी। यहां तक कि सरकार ने धरना कर रहे पहलवानों को जबरदस्ती जंतर मंतर से हटा दिया था। जिसके विरोध में एआईवायएफ ने 4 जून 2023 को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन रखा गया था।

जिसमें अखिल भारतीय नौजवान सभा, दिल्ली राज्य परिषद की ओर से जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन महिला पहलवानों व अन्य पहलवानों के समर्थन में किया गया।

अखिल भारतीय नौजवान सभा दिल्ली राज्य परिषद के द्वारा विरोध प्रदर्शन को एआईवायएफ महासचिव आर थिरूमलई ने संबोधित करते हुए बताया कि बीजेपी के एमपी बृजभूषण के द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई जिसमें पुलिस ने उनको आज तक भी गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि वह ऐसी भारतीय जनता पार्टी के छह बार के सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं जिनको बीजेपी की सरकार कार्यवाही करने से घबरा रही है। जबकि जिन धाराओं के तहत यह मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन धाराओं के तहत अगर कोई आम आदमी होता तो उसको अब तक पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती। उन्होंने आगे बताया कि यह सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाती है लेकिन बेटियों के हो रहे यौन शोषण करने वाले अपने ही एमपी को गिरफ्तार नहीं करती है और उसका बचाव करती है।

तमिलनाडू

उसके बाद धरने को संबोधित करते हुए भाकपा दिल्ली राज्य परिषद सचिव दिनेश वार्ष्णेय ने कहा कि यह सरकार अगर यह समझती है कि वह महिला पहलवानों को किसी तरह पुलिस के माध्यम से वहां से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो गई है तो वह यह कतई ना समझे कि यह आंदोलन खत्म हो गया। एआईवायएफ की राज्य अध्यक्ष अमृता पाठक, एआईवाईएफ दिल्ली राज्य परिषद के सहायक सचिव आकाश लोधी ने भी धरने को संबोधित किया। इसी प्रकार अखिल भारतीय नौजवान सभा के उत्तर प्रदेश के साथी एडवोकेट धीरेंद्र तिवारी ने कहा कि एक एडवोकेट अच्छी तरीके से समझ सकता है कि जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है उन धाराओं में किस तरह की कार्यवाही हो सकती है लेकिन दिल्ली पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। उसके बाद एनएफआईडब्ल्यू की पूर्वी दिल्ली जिला सचिव कामरेड प्रिया डे, पूनम, तबस्सुम, सहित अन्य महिला साथियों ने धरने को संबोधित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूर्वी दिल्ली जिला के सचिव केहर सिंह, उतरी दिल्ली के जिला सचिव संजीव राणा, उत्तर पूर्वी दिल्ली के रामप्रसाद अत्री, पूर्वी दिल्ली से रमेश, गिरी, मदन, कंचन गीता रिंकेश, एडवोकेट पारस कुमार, एआईवाईएफ के राज्य सचिव मंडल के साथी सत्यम और पंजाब से आए हुए अनेक साथियों ने धरने प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

यह धरना अखिल भारतीय नौजवान सभा दिल्ली राज्य परिषद के द्वारा किया गया था। जिसका संचालन एआईवाईएफ के राज्य सचिव एडवोकेट शशि कुमार गौतम ने किया।

केरल

केरल

केरल के पयन्नूर निर्वाचन क्षेत्र की एआईवायएफ कमेटी ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। एआईवाईएफ जिला अध्यक्ष के आर चंद्रकांत ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के साथ एकजुटता की घोषणा करते हुए एआईवाईएफ पयन्नूर निर्वाचन क्षेत्र समिति द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित विरोध कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जोशी अरक्कल की अध्यक्षता में निर्वाचन क्षेत्र के भाकपा सचिव एम रामकृष्णन, निर्वाचन क्षेत्र के एआईएसएफ सचिव श्रीजीत मोहनदास, पी. विनू और के. अनीश ने प्रदर्शन में भाग लिया। राजेश ने नेतृत्व किया।

मन्नार्ककड शहर (केरल)

न्याय के लिए लड़ रहे पहलवानों के साथ एकजुटता का ऐलान करते हुए मन्नार्ककड शहर निर्वाचन क्षेत्र समिति द्वारा मन्नार्ककड शहर में विरोध मार्च निकाला गया। एआईवाईएफ पयनेडम क्षेत्र सचिव अजीत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिनका स्वागत एआईवाईएफ मन्नार्क्कक्कड़ क्षेत्र सचिव बॉबी जॉय ओनाकूर ने किया। एआईवाईएफ जिला अध्यक्ष पी नौशाद ने उद्घाटन किया। एआईवाईएफ राज्य कमेटी सदस्य सुरेश कैथाचिरा, एआईवाईएफ मन्नार्क्कक्कड़ निर्वाचन क्षेत्र कमेटी सदस्य भरत चेरूमकुलम, एआईवाईएफ महिला उप कमेटी सदस्य शाहिना मन्नार्क्कक्कड़ आदि ने शुभकामनाएं दी और बात रखी। निर्वाचन क्षेत्र समिति के सदस्य आबिद कैथाचिरा, अनवर अनीश, गायत्री, अर्भास, सुनील आदि ने भाग लिया। निर्वाचन क्षेत्र समिति सदस्य शानूप ने सभी का धन्यवाद किया।

तमिलनाडु

अखिल भारतीय युथ फेडरेशन की

शेष पेज 15 पर...

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.